जीवन और संघर्ष

उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर की स्थिति और अधिकार

Pairvi

Supported by
MISEREOR
IHR HILFSWERK

जीवन और संघर्ष

उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर की स्थिति और अधिकार

Supported by MISEREOR IHR HILFSWERK

जीवन और संघर्ष
उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर की स्थिति और अधिकार

(फरवरी 2023)

सम्पादनः दीनबन्धु वत्स (पैरवी, नई दिल्ली)
लेखनः अजय शर्मा (अमलतास, लखनऊ)
लेखन सहयोगः शीतल शर्मा (एडवोकेट, लखनऊ)

अध्ययन सहयोगः
डॉ. रुचिता सुजय चौधरी (असिस्टेंट प्रोफेसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ)
विजेता सिंह (गुलिस्ता किन्नर एकता ट्रस्ट, वाराणसी)
आत्मीय ईरम (जर्नी टूँ रूट, आगरा)
यादवेन्द्र सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ)

प्रकाशकः
पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज इन इण्डिया (पैरवी)
के-8, तीसरा तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः 011-29841266, ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com वैबसाइटः www.pairvi.org

आमुख

सामाजिक ढांचे में जेण्डर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों-दिन पुख्ता किया और समाज जेण्डर को स्त्री-पुरुष की 'बाइनरी' में ही देखने व समझने का अभ्यस्त रहा है। इस अभ्यास के कारण ही समाज में थर्ड जेण्डर को लेकर जो धारणा बनी, वह उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली रही, क्योंकि वह प्रचलित बाइनरी से बाहर थे। इस पहचान को लेकर थर्ड जेण्डर समुदाय लम्बे समय से संघर्ष कर रहा है, यह संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर चल रहा है।

ट्रांसजेण्डर हमारे समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक हैं, जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतिदिन होता है। पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बहुत जरूरी है। एक ऐसे समय में जब हाशिये के विषय मुख्यधारा में आ चुके हैं और खुल कर उनके अधिकारों पर बात हो रही है, उनकी पड़ताल की जा रही है और विविध दृष्टियों से उन पर विचार-विमर्श भी किया जा रहा है, तब भी ट्रांसजेण्डर पर उतनी बात नहीं हो रही है, जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी। इनके साथ सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि समाज के साथ ही इनके स्वयं के परिवार वालों द्वारा भी इन्हें त्याग दिया जाता है। जन्म से लेकर जीवन भर ये समाज में रहते हुए भी समाज से इतर बहिष्कृत होकर जीवन यापन करते हैं। मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं के लिए भी इन्हें भेदभावपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है। दरअसल हमारा समाज इन्हें अपने से अलग समझता है और खुद में शामिल नहीं करता, इनके लिंग को लेकर इनका मजाक उड़ाता है। उन्हें कभी नॉर्मल न महसूस होने देना, धीरे-धीरे मानसिक बीमारियों और विकारों की तरफ धकेलता है। यही कारण है कि ट्रांसजेण्डर आबादी में आम आबादी की तुलना में आत्महत्या की दर अथवा आत्महत्या की कोशिश की दर सबसे ज्यादा है।

15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेण्डर को संवैधानिक अधिकार दे दिया और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। उसके बाद 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेण्डर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई।

पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने थर्ड जेण्डर को संपत्ति में अधिकार के कानून को मंजूरी दे दी। इससे पैतृक संपत्ति में उनको भी हक मिलेगा। यह एक तरह से कानूनी एवं सामाजिक मान्यता के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पहले तक सिर्फ स्त्री और पुरुष को ही संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था, अब इसका विस्तार थर्ड जेण्डर तक कर दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि इससे थर्ड जेण्डर समुदाय के लोगों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सुरक्षा तो मिलेगी ही साथ में उनकी पहचान को भी सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

इस अध्ययन की शुरुआत जून माह में हुई, जब हमने अपने साथियों के साथ ट्रांसजेण्डर समुदाय के सन्दर्भ में चर्चा की। इस चर्चा में तय किया गया कि हमें उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर की

स्थिति और अधिकार पर चर्चा एक अध्ययन करना चाहिए, जिसमें ट्रांसजेण्डर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, मानवाधिकार, उनके लिए संचालित नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण, उनकी स्वीकृति, पहचान और चुनौतियाँ आदि विषय केस स्टडी के साथ शामिल होंगे। इस अध्ययन में ट्रांसजेण्डर समुदाय के (एलजीबीटीक्यूप्लस) दस लोगों की केस स्टडी शामिल की गई है जिसे विभिन्न शहरों में ट्रांसजेण्डर लोगों से बातचीत कर तैयार किया गया। इस कार्य में डॉ. रुचिता चौधरी (असिस्टेंट प्रोफेसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, लखनऊ), आत्मीय ईरम (जर्नी टूँ रूट, आगरा), विजेता सिंह (गुलिस्ता किन्नर एकता ट्रस्ट, वाराणसी) और यादवेन्द्र सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ) ने मदद की। हम अपने सभी साथियों के आभारी हैं, जिन्होंने सहयोग किया। हमारे इस अध्ययन से ट्रांसजेण्डर समुदाय और उनके लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं को मदद मिलेगी। हमारा समाज भी जागरूक होगा और ट्रांसजेण्डर समुदाय भी खुशहाल होगा, इसी उम्मीद के साथ...

दीनबन्धु वत्स
(पैरवी, नई दिल्ली)

अजय शर्मा
(अमलतास, लखनऊ)

विषय सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1	आमुख	i
2	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ट्रांसजेण्डर	1
3	सामाजिक-आर्थिक स्थिति	4
4	नालसा निणर्य	6
5	ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019	9
6	उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड	13
7	राष्ट्रीय पोर्टल और पंजीकरण की प्रक्रिया	17
8	ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएँ	20
9	केस स्टडी	23
10	ट्रांसजेण्डर समुदाय का माँग-पत्र	43
11	निष्कर्ष	46

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ट्रांसजेण्डर

ट्रांसजेण्डर वो इंसान होते हैं, जिनका लिंग जन्म के समय तय किये गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इनमें ट्रांस मेन, ट्रांस वीमेन, इंटरसेक्स और किन्नर भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों के पास अपना लिंग निर्धारित करने का अधिकार है।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसकी रचना करते समय एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी कि जहाँ जाति, धर्म, रंग, लिंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अर्थात उन्होंने भविष्य के भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा था, जहाँ पर किसी आधार पर विषमताएँ ना हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो।

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने का दावा करता है, परंतु ट्रांसजेण्डरों के परिप्रेक्ष्य में ये बात तर्कसंगत नहीं जान पड़ती है। ट्रांसजेण्डर के बारे में बात करना आज भी भारतीय समाज में वर्जित है। समाज का यह तबका आज भी अपनी स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, जीने के अधिकार और प्रेम के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इस समुदाय में अन्य लोगों की तुलना में आत्महत्या की दर तीन गुना अधिक है। इस समुदाय के सदस्य न केवल अपने घर के बाहर पीड़ित होते हैं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों आदि द्वारा अपने घर के अंदर भी परेशान होते हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि समाज ट्रांसजेण्डर लोगों पर विचार करे और उनका समर्थन करे। यह एक वास्तविकता है कि समलैंगिकता के बारे में बात करना बाकी समाज के लिए सामान्य नहीं है। आज भी बाइनरी जेण्डर सिस्टम यही सोचता है कि यह किसी तरह की असामान्यता है या एक मानसिक विकार है।

आमतौर पर लोग एलजीबीटी समुदाय से संबंधित मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। इन लिंग आधारित अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। जो लोग समान लिंग में रुचि रखते हैं या जिनके पास पुरुष शरीर में महिला की आत्मा है या महिला शरीर में पुरुष की आत्मा है, आम तौर पर यही धारणा है कि यह लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय बीमार है। इन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके परिवार और सम्बन्धियों द्वारा बुरी तरह से भेदभाव किया जाता है। इनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। इन्हें न पुरुषों में माना जाता है और न ही महिलाओं में, इसलिए इस समुदाय को अपना सामाजिक जीवन छुप कर गुजारना पड़ता है। इसी मानसिक हिंसा और तनाव के कारण आत्महत्या या उसकी कोशिश की दर बाकी समाज से ज्यादा होती है।

ट्रांसजेण्डर भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं, मिथकों, रामायण और महाभारत आदि में ट्रांसजेण्डरों का जिक्र आता है। मध्यकालीन इतिहास में भी ट्रांसजेण्डरों का जिक्र अनेक बार आता है। खासकर मुगलकालीन इतिहास में ट्रांसजेण्डरों को मुगल बादशाहों की बेगमों की सेवा में रखा जाता था। कई देवी-देवता ऐसे हैं, जिनके लिंग काफी अस्पष्ट हैं और वे आमतौर पर दोनों लिंगों की विशेषताएँ रखते हैं। किन्तु जहाँ तक ट्रांसजेण्डरों के बराबरी के अधिकार की बात है, इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद भी ट्रांसजेण्डरों की दशा और दिशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अभी हाल ही के वर्षों तक यदि कोई ट्रांसजेण्डर शिशु किसी परिवार में पैदा होता था तो उसके परिवार वाले चाहकर भी उसे अपने

घर में नहीं रख पाते थे। आखिर एक ट्रांसजेण्डर के रूप में पैदा होने में उस शिशु का क्या दोष? किन्तु सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण ट्रांसजेण्डर शिशु को अपने माता-पिता का घर त्यागना ही पड़ता था। चूंकि इन्हें शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते थे तो मजबूरन उन्हें सेक्स वर्कर, भिक्षाटन, नाच-गाना आदि करके अपना जीवनयापन करना पड़ता था। सिनेमा का हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है, सिनेमा में भी ट्रांसजेण्डरों की भूमिका नकारात्मक चरित्रों के चित्रण की सीमा तक सीमित है। हालांकि हाल के वर्षों में कई ऐसी फिल्में आई हैं, जो ट्रांसजेण्डरों के जीवन संघर्ष को रेखांकित करती हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांस समुदाय की आबादी 4.88 लाख है। (ट्रांसजेण्डर समुदाय की गणना पहली बार वर्ष 2011 में की गई। 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार तीन कोड प्रदान किए थे। गणना के लिए पुरुष-1, महिला-2, और अन्य-3 को प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना में 'अन्य-3' कालम में 487803 व्यक्तियों को दर्ज किया गया, जिन्होंने खुद को पुरुष या महिला के अलावा अन्य लिंग के रूप में पहचाना था) ट्रांसजेण्डरों को लैंगिक, मानसिक उत्पीड़न और सामूहिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 96 प्रतिशत ट्रांसजेण्डरों को नौकरी से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें आजीविका के लिए देह बेचने और भीख माँगने को मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 92 प्रतिशत ट्रांसजेण्डर देश में किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं और 50-60 प्रतिशत ट्रांसजेण्डर भेदभाव के कारण कभी स्कूल भी नहीं जा पाए।

वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रांसजेण्डरों की बेहतरी के उद्देश्य से एक दिशा-निर्देश जारी किया गया, जिसके अनुसार कहीं भी ट्रांसजेण्डरों से मेडिकल आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ यह बहुत व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया है।

इंटरनेशनल ट्रांसजेण्डर डे ऑफ विजिबिलिटी (International Transgender Day of Visibility) हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेण्डर लोगों की सराहना करने के लिए और दुनिया भर में ट्रांसजेण्डर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए समर्पित है

ट्रांस समुदाय ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। बीते एक दशक में ट्रांसजेण्डर आंदोलन में उल्लेखनीय प्रगति होने और महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिलने के बाद स्थतियों में कुछ बदलाव आया है। हाल के वर्षों में ट्रांसजेण्डरों ने अपने साथ होने वाले इस भेदभाव का विरोध किया और अनेक बाधाएं दूर भी की हैं।

दुनिया अब तेजी से बदल रही है और दुनिया का हर कोना प्रबुद्ध हो रहा है। इसलिए ट्रांसजेण्डर बिल को मजबूत करने और एलजीबीटी समुदाय के अनुकूल कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाना और भारतीय इतिहास को इस काले धब्बे से मुक्त करना समय की माँग है। समलैंगिकता तब तक एक कलंक बनी रहेगी जब तक लोग गुमनामी के कालीन के नीचे जाने को विवश हैं। सरकार को जनता को शिक्षित करने और यौन अल्पसंख्यकों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। राज्य और समाज के तीनों अंगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान से उत्पन्न नैतिकता और मूल्य प्रबल हों और भारत में एलजीबीटी समुदाय के लिए गरिमा, यौन स्वायत्तता और व्यक्तित्व के साथ बेहतर कल की ओर हमारा मार्गदर्शन

करें। समलैंगिक होने के सामाजिक कलंक को हटाना होगा। अगर समाज ट्रांसजेण्डरों व अन्य एलजीबीटी लोगों को विषमलैंगिक लोगों की तरह स्वीकार करता है, तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। समाज द्वारा यह निश्चित इनकार इन्हें परेशान करता है और परिणामस्वरूप वे विभिन्न मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं। समाज को यह बात स्वीकार करने की जरूरत है कि समलैंगिकता न तो कोई बीमारी है और न ही कोई विकल्प, यह केवल एक यौन अभिविन्यास है। इसलिए हमें उसी लिंग के प्रति आकर्षित व्यक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है, जैसे हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। हमें अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है।

कई छोटे-छोटे प्रयास ट्रांसजेण्डरों को लेकर माहौल बदल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेण्डरों के लिए समर्पित कर इसका नाम प्राइड किया गया। यह उत्तर भारत का पहला स्टेशन है, जो ट्रांसजेण्डर को समर्पित किया गया है। इसका उद्देश्य इस समुदाय से जुड़े लोगों को सम्मान और रोजगार दे कर समाज में उनके प्रति सोच में बदलाव लाना है। यह पहल ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 से प्रेरित है, जिसके अनुसार किसी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति के साथ शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलने से पहले एनएमआरसी ने आॅनलाइन सुझाव माँगे थे, अधिकतर लोगों ने स्टेशन का नाम प्राइड करने का सुझाव दिया।

प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसजेण्डर समुदाय द्वारा क्वीर प्राइड का आयोजन किया जा रहा है। लोग खुल कर अपने दर्द को बयान कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन और राजस्व मामलों में उत्तराधिकार में बदलाव जैसे प्रयत्न का भविष्य में असर होना तय है। राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डरों को पहचान-पत्र दिये जाने की शुरुआत हुई है। अब तक प्रदेश के 249 ट्रांसजेण्डरों ने पहचान-पत्र के लिए आवेदन किया है, जिसमें 63 को पहचान-पत्र जारी कर दिया गया है, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से इससे बदलाव आएगा।

हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर की आबादी 1.37 लाख है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख ट्रांसजेण्डर हैं। दरअसल इस संदर्भ में सही तथ्यों और आंकड़ों की खासी कमी है।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए उनका सामाजिक-आर्थिक पहलू ही उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पहलू है। सामाजिक रूप से नकारे जाने और आर्थिक रूप से बहिष्कृत ट्रांसजेण्डर समुदाय की विडम्बना है कि वह गरिमापूर्ण जीवन से वंचित हैं, जबकि सच्चाई यह कि किन्नरों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएँ भरी पड़ी है, उनका उपयोग समाज और राष्ट्रहित में हो सकता है और होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता तो उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में आसानी होती। इन लोगों को भी सिर्फ नाचाने-गाने में ही नहीं, बल्कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल है जिसका समाज हित में उपयोग किया जाना चाहिए। मगर यह तभी संभव है जब सामाजिक नजरिये में बदलाव हो, लोग इनकी पहचान इनकी प्रतिभा और योग्यता के बल पर करें, न कि इनकी शारीरिक अवस्था के आधार पर।

वैसे तो ट्रांसजेण्डर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में कोई ठोस अध्ययन उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों से मिलकर, उनकी केस-स्टडी तैयार कर यह जरूर कहा जा सकता है कि यदि वह आर्थिक रूप से इतने निर्बल और असहाय न होते तो सामाजिक रूप से भी इस कदर बहिष्कृत न होते। केस स्टडी तैयार करते समय इनकी तकलीफों को सुन-समझ कर कई बार आखें भर आईं। आस-पड़ोस के लोगों ने, मुहल्ले के लोगों ने और रिश्तेदारों ने जिस कदर मजाक उड़ाया और जीना दूभर कर दिया, वह सब किसी को भी मानसिक रोगी बना देने के लिए काफी है, किन्तु अपने ही घर वालों ने जिस तरह दुर्व्यवहार और बेसहारा किया, उसने कितनों को आत्महत्या की ओर धकेल दिया। किसी भी इंसान के लिए, चाहे वह ट्रांसजेण्डर हो या कोई और, घर-परिवार और माता-पिता का प्यार-दुलार महत्वपूर्ण होता है। इस वंचना के सबसे ज्यादा शिकार ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोग हुए हैं।

ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों में बहुत सारी क्षमताएं हैं। अच्छा माहौल मिले तो यह भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परंतु सामाजिक विषमताओ के चलते ये सारी प्रतिभाएँ और संभावनाएँ दब कर रह जाती हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यह ट्रांसजेण्डर हैं, भेदभाव और बहिष्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इसका एक कारण अज्ञानता भी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इस विषय की जानकारी हो। शासन-प्रशासन और पुलिसकर्मियों में भी इस विषय को लेकर जानकारी और सहनशीलता हो।

आजीविका की समस्या ने न्यूनतम मानवीय गरिमा से भी विहीन कर दिया है। वह अपने बारे में कोई निणर्य लेने की स्थति में नहीं है। कई ट्रांसजेण्डरों ने बताया कि वह सर्जरी करवाना चाह रहे हैं किन्तु पैसे न होने के चलते वह असहाय हैं और अपने अनुसार अपनी जिन्दगी नहीं जी पा रहे हैं। घर-बाहर कोई उनका किसी तरह का सहयोग करने वाला नही है। बीमार होने की स्थितियों में वह इलाज कराने की स्थिति में नही हैं। घर-समाज में ऐसा माहौल नहीं है कि वह अपने भीतर के बदलावों और मनःस्थितियों के बारे में किस से बात कर सकें। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें सही सलाह दे सके। कई ट्रांसजेण्डरों ने बताया कि उनके घर के सदस्यों ने ही उनका यौन शोषण किया, जिसका वह विरोध करना तो दूर घर में माता-पिता को भी नहीं बता सके। यदि कभी बताया तो घर के लोगों ने भी लोकलाज अथवा अन्य कारणों से इन्हें ही चुप कराया। घर-बाहर,

अस्पताल, स्कूल, बाजार, कार्यस्थल कहीं ऐसी जगह नहीं है, जहाँ वह भेदभाव और शोषण से मुक्त हों, हर कहीं अपमान, यौन-दुर्व्यवहार का डर बना रहता है।

इस समुदाय के प्रति हिंसा आम है लेकिन हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2020 में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के प्रति हिंसा की मात्र 236 रिपोर्ट दर्ज हुईं जो कि देश के कुल अपराध का 0.006 प्रतिशत है। इसमें बलात्कार, वेश्यावृत्ति के लिए ट्रांसजेण्डर नाबालिगों की खरीद-फरोख्त आदि का कोई मामला दर्ज नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कम अपराध दर का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के दस्तावेजीकरण की कमी है जो समुदाय के खिलाफ अपराधों के भ्रामक रिकॉर्ड को दर्शाता है।

इन परिस्थतियों में जीते हुए और भेदभाव भरे रवैये के चलते तमाम युवा ट्रांसजेण्डरों की क्षमताएँ बंजर हो रही हैं और उनमें आक्रोश की भावना बढ़ रही है। रोजगार के अधिकतर द्वार बंद हैं। उनके पास पेट भरने के लिए भीख माँगने, घर-घर जा कर बधाई गाने और वैश्यावृति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनेंगे, जो किसी के लिए भी बुनियादी जरूरत है।

पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों के बावजूद सामाजिक नजरिया अभी जस का तस बना हुआ है। जब तक सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव नहीं आएगा, यह आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होंगे, इनकी वंचनाएँ खत्म नहीं होंगी।

नालसा निर्णय

जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रांसजेण्डर लोगों के साथ न केवल भेदभाव किया गया है, बल्कि वह मूल अधिकारों से भी वंचित रहे। साल 2012 में, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी) ने ट्रांसजेण्डर समुदाय (कम्युनिटी) को अपना समर्थन देते हुए उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके लिए समान अधिकार और उनकी लिंग पहचान की कानूनी घोषणा की माँग की गई। दो साल बाद, 15 अप्रैल 2014 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह माना कि संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार उन पर समान रूप से लागू होंगे और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे नालसा निर्णय भी कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं।

- ट्रांसजेण्डर लोगों को पहले खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उनके लिए ''थर्ड जेण्डर'' का दर्जा बनाया, जो सभी जेण्डरों को शामिल करने वाले समाज के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (इकोनॉमिकली बैकवर्ड) के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया।
- शीर्ष न्यायालय ने केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर की सरकारों को ट्रांसजेण्डर समुदाय की बेहतरी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ (सोशल वेलफेयर स्कीम्स) चलाने और अपनी संस्कृति, विश्वास, धर्म और लिंग के बारे में कलंक को मिटाने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने दोहराया कि शिक्षा और रोजगार पाने में ट्रांसजेण्डरों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और सरकार से उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (अदर बैकवर्ड क्लासेस - ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा।
- ट्रांसजेण्डर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने वाले कानून की अनुपस्थिति उन्हें नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। उन्हें शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास हुआ नालसा जजमेंट ट्रांसजेण्डर समुदाय की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इस फैसले से ट्रांसजेण्डर समुदायों को पहली बार तीसरे जेण्डर के तौर पर पहचान मिली। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रांसजेण्डर समुदायों को संविधान के मूल अधिकार देता है। वैसे तो नालसा जजमेंट ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कोई विशेष अधिकार की बात नहीं करता, एक आम नागरिक को मिलनेवाले अधिकारों को ही सुनिश्चित करने की बात करता है। तब से लेकर आज तक कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। संसद में ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल पास हुआ। इसी क्रम में कई राज्यों में वेलफयर बोर्ड का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में भी किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, उसकी बैठकें भी होती हैं, और कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी हुई। राष्ट्रीय पंजीकरण पोर्टल बना और ट्रांसजेण्डरों का पंजीकरण

भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व संहिता में उत्तराधिकार में बदलाव करते हुए ट्रांसजेण्डर को भी सभी श्रेणियों में भागीदार बनाया गया। किन्तु अभी इनका वास्तविक परिणाम मिलना बाकी है। इन सबके बावजूद इनके प्रति सामाजिक नजारिये में बदलाव नहीं आया है और न ही इनकी समस्याएँ कम हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके तहत दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दे दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को झटका लगा, बल्कि ट्रांसजेण्डर समुदाय की आजादी की राह खुल गई। इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया, जिसके तहत एक ही जेण्डर के दो लोगों को संबध बनाने की इजाजत नहीं थी।

दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1861 में आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार देते हुए प्रावधान किया गया था कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे आजीवन कारावास अथवा दस साल की सजा दी जाएगी। इसी प्रावधान के कारण समलैंगिक समाज अपनी भावनाओं का गला घोंटता रहा। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में लेस्बियन अर्थात दो महिलाओं के बीच संबंध कभी अवैध नहीं माने गए और पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंधों को कुछ शर्तों के साथ 1967 से ही वैध माना जाने लगा था, जबकि भारत को ब्रिटेन से आजादी मिलने के 70 साल बाद जाकर इस धारा से आजादी मिल सकी।

हालांकि इसे लेकर पहले भी विरोध होता रहा, किन्तु कानूनन इस प्रावधान को हटाने की माँग पहली बार वर्ष 2001 में की गई, जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस कॉलोनियल ऐक्ट को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और संबंधों की वैधता के अधिकार को हासिल करने की लड़ाई और लंबी हो गई। इसके बाद पहली बार सफलता तब मिली जब वर्ष 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही जेण्डर के दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। दरअसल आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध और आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है।

लेकिन कुछ ही सालों बाद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से इसकी रक्षा नहीं की जा सकेगी। नाज फाउंडेशन ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया।

किन्तु साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे जेण्डर का दर्जा देकर अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। इसी तरह साल 2016 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया कि धारा 377 से उनकी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एनॉटमी, सेक्सुअल पार्टनर चुनने की आजादी, जीवन, निजता, सम्मान और समानता के साथ ही संविधान के तहत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए अपने एक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया और साथ ही सेक्सुअल ओरियंटेशन को निजता का अहम हिस्सा माना। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में धारा 377

के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनना शुरू किया। इसी साल 6 सितंबर 2018 को कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरियंटेशन प्राकृतिक होता है और लोगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने नाबालिगों, जानवरों और बिना सहमति के बनाए गए संबंधों पर इस प्रावधान को लागू रखा है। फैसला देते हुए जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने यहाँ तक कहा कि समाज को LGBTQ और उनके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए माफी माँगनी चाहिए। अदालत ने माना कि शारीरिक स्वायत्तता व्यक्तिवादी है। पार्टनर का चुनाव निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यह एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के मानवाधिकार, समान नागरिकता और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार सुप्रीमकोर्ट के इस निणर्य ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

पहले नालसा जजमेंट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ट्रांसजेण्डर के लिए संसद में पारित कानून और फिर उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन आदि से ट्रांसजेण्डर का सशक्तिकरण हो रहा है। इस लिहाज से नालसा जजमेंट ट्रांसजेण्डरों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिहक है।

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019

सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अपना निर्णय दिया, जिसमें उसने एक ट्रांसजेण्डर व्यक्ति के आत्मकथित पहचान के अधिकार को बरकरार रखा और उनके अधिकारों को मान्यता दी। जबकि मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा था, 2014 में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें ट्रांसजेण्डर समुदायों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था।

इसी पृष्ठभूमि में डीएमके के एक सांसद ने राज्य सभा में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकार बिल- 2014 नामक एक निजी सदस्य बिल पेश किया। 24 अप्रैल 2015 को बिल को सर्वसम्मति से राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। हालांकि जब सरकार ने बिल के अपने संस्करण का ड्राफ्ट तैयार किया तो बिल में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, इसे कानून मंत्रालय को भेजा गया था और फिर इसे ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकार बिल 2015 के रूप में जाना गया। 26 फरवरी 2016 को, बिल को लोकसभा में बीजू जनता दल पार्टी के बैजयंत पांडा द्वारा पेश किया गया और 29 अप्रैल 2016 को इस पर चर्चा की गई थी।

2014 के आम चुनावों के बाद 2016 का बिल पेश किया गया। जबकि 2014 का राज्यसभा द्वारा पारित बिल लंबित रहा। पूर्व बिल को एक स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लोकसभा ने एक नया संस्करण पेश किया और पारित किया, जो भी समाप्त हो गया। 2019 के आम चुनावों के बाद, बिल को 19 जुलाई 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा लोकसभा में फिर से पेश किया गया था और संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसे बाद में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और कानून का रूप प्राप्त हुआए जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- **ट्रांसजेण्डर व्यक्ति की परिभाषा:** बिल कहता है कि ट्रांसजेण्डर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेण्डर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिजड़ा भी शामिल हैं। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं, जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसम्स या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं।
- **भेदभाव पर प्रतिबंध:** बिल ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है: (1) शिक्षा, (2) रोजगार, (3) स्वास्थ्य सेवा, (4) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच और उसका उपभोग, (5) कहीं आने-जाने (मूवमेंट) का

अधिकार (6) किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराये पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या अन्यथा उसे कब्जे में लेने का अधिकार, (7) सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर, और (8) किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुँच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति द्वारा की जाती है।

- **निवास का अधिकार:** प्रत्येक ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है। अगर किसी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में अक्षम है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र में भेजा जा सकता है।

- **रोजगार:** कोई सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों, जैसे भर्ती, पदोन्नति इत्यादि, में किसी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती। अगर संस्था में 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक्ट के तहत मिलने वाली शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

- **शिक्षा:** सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान भेदभाव किए बिना ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी जिसमें अलग एचआईवी सर्विलेंस सेंटर, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है। सरकार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उन्हें समग्र चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करेगी।

- **ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों की आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट:** एक ट्रांसजेण्डर व्यक्ति जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेण्डर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। संशोधित सर्टिफिकेट तभी हासिल किया जा सकता है, अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है।

- **सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय:** बिल कहता है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। वह ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, ट्रांसजेण्डर संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।

- **अपराध और दंड:** बिल निम्नलिखित को अपराध के रूप में मान्य करता है (1) ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना (इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है), (2) उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, (3) उन्हें परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना, और (4) उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए सजा छह महीने और दो वर्ष के बीच की है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

- **राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर परिषद (एनसीटी):** एनसीटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे (1) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री (अध्यक्ष), (2) सामाजिक न्याय राज्य मंत्री (सह अध्यक्ष), (3) सामाजिक न्याय मंत्रालय

के सचिव, और (4) स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेण्डर समुदाय के पांच सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के पांच विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

यह परिषद ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, विधान और योजनाएँ बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी। यह ट्रांसजेण्डर लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।

अधिनियम की उपरोक्त प्रमुख विशेषताओं से अलग यदि अधिनियम को समग्रता में देखें तो इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, जिससे लगता है कि यह अधिनियम जल्दबाजी में पारित किया गया था।

वर्तमान में कई आपराधिक और नागरिक कानून लिंग की दो श्रेणियों यानी पुरुष और महिला को ही मान्यता देते हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे कानून शामिल हैं। हालिया विधेयक में तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेण्डर को मान्यता देने की बात की गई है। हालाँकि विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता है कि कुछ मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। गौरतलब है कि यह विधेयक ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों और इंटरसेक्स व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में रखता है जिसके कारण यह दोनों में से किसी भी समुदाय के विशिष्ट मुद्दों को संबोधित नहीं कर पाता। विधेयक में दी गई 'परिवार' शब्द की परिभाषा किन्नरों और अन्य सांस्कृतिक समुदायों की वास्तविकताओं को पहचानने में विफल रही है, जो सामाजिक एवं पारिवारिक अस्थिरता के कारण अक्सर घरानों में रहते हैं।

यह विधेयक ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कदम उठाने हेतु सरकार पर दायित्व डालता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान अस्पष्ट है और ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के मुद्दे पर भी विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लंबे समय से समुदाय की एक प्रमुख माँग रही है। विदित हो कि वर्ष 2014 में NALSA ने भी ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिए जाने के निर्देश दिये थे। इसके अलावा ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों का कहना है कि विधेयक में शिक्षा या स्वास्थ्य लाभ के बारे में दिया गया कोई भी प्रावधान किसी भी राज्य निकाय पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं डालता है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि इस विधेयक के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर परिषद में स्वयं ट्रांसजेण्डर समुदाय का ही प्रतिनिधित्व काफी कम है। साथ ही ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रतिनिधित्व के चयन की प्रक्रिया पर सवालिया-निशान लगाए गए हैं। विदित है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर परिषद में ट्रांसजेण्डर समुदाय से कुल 5 सदस्य होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में देखें तो धारा 4-5-6-7 में काफी अस्पष्टता है। विडंबना यह है कि अधिनियम व्यक्ति को अपने लिंग की स्वयं पहचान करने की अनुमति देता है और फिर यह अभी भी एक जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि को अनिवार्य करता है। यही प्रक्रिया उन्हें मुख्यधारा के लिंगों से अलग करती है। ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को एक

प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली (प्रोसीजर) को लेकर भी कानून खामोश है।

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को डीएम के सामने खड़ा होना पड़ता है और उन्हें समझाना पड़ता है कि वे ट्रांसजेण्डर हैं। यदि डीएम ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को ऐसा प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते हैं तो कोई निवारण तंत्र (रिड्रेसल मेकेनिज्म) नहीं है। राष्ट्रीय परिषदों के अलावा राज्य और जिला स्तरीय परिषदों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जिले के एक व्यक्ति को शिकायत निवारण के लिए दिल्ली की यात्रा करनी होगी जैसा कि खंड 17डी में उल्लिखित है। कई ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पास ऐसा करने की सामाजिक-आर्थिक क्षमता नहीं होती है और बिल में इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं हैं।

बिल का उद्देश्य समावेशिता है और फिर भी यह एक ट्रांसजेण्डर महिला और एक सीआईएस महिला के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सीमांकन करता है। इस विधेयक में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग दंड के प्रावधान किये गए हैं, जो कि समान अपराधों के लिए IPC में निश्चित दंड से काफी कम हैं। इसके कारण ट्रांसजेण्डर में असमानता की भावना उत्पन्न हो रही है।

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों का उल्लेख करने वाला केवल एक खंड है, जो यौन शोषण से लेकर बलात्कार तक सभी यौन अपराधों को एक साथ समूहित करता है। यह और भी विसंगतिपूर्ण है, क्योंकि एक ट्रांसजेण्डर व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सिर्फ 2 साल तक की सजा अपेक्षाकृत कम है। जबकि आईपीसी के तहत एक सीआईएस महिला के खिलाफ बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जो कि दुर्लभतम मामलों में मौत तक हो सकती है। यदि पुलिस अधिकारी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से इनकार करते हैं या डॉक्टर उन्हें सेवाएं प्रदान करने से इनकार करते हैं, तो बिल की धारा 18 में दंड का प्रावधान नहीं है।

बिल में मूल रूप से प्रावधान किया गया था कि कोर्ट के आदेश को छोड़कर किसी भी ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को उसकी पहचान के कारण उनके परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। इस बिल का खंड 12 अब स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) की सिफारिशों के अनुसरण में इसे ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों तक नहीं बल्कि ट्रांसजेण्डर बच्चों तक सीमित करने का प्रयास करता है। कानून की परिभाषा के अनुसार लोग अपनी यौन पहचान तब खोज सकते हैं, जब वे बच्चे नहीं हैं और फिर उन्हें उनके पैतृक घर से निकाला जा सकता है। तो इस अधिकार को बच्चों तक सीमित करके हम एक अन्याय कर रहे हैं।

अधिनियम के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ खामियां ऐसी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, अन्यथा वे अच्छे से ज्यादा नुकसान करेंगी। अनिवार्य रूप से इस अधिनियम का उद्देश्य न केवल ट्रांसजेण्डर समुदाय को कानूनी अधिकार देना है, बल्कि मुख्यधारा में उनके प्रवेश को आसान बनाना और उन्हें सम्मान और समान अधिकार के साथ अपना जीवन जीने में मदद करना है। विधेयक की आलोचना कर रहे कई लोगों का कहना है कि लोकसभा में पारित होते समय इस विधेयक पर अधिक चर्चा नहीं हो सकी थी, क्योंकि उसी दिन सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। ट्रांसजेण्डर समुदाय की माँग है कि विधेयक पर एक बार पुनः चर्चा की जाए और ट्रांसजेण्डर समुदाय के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए विधेयक में आवश्यक सुधार किये जाएँ।

उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 (2019 का 40 की धारा-32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 25-09-2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 प्रख्यापित की गई है। शासनादेश संख्या- 19/26-2-2021-1 (रिट)/2012, दिनांक 6-1-2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नियम, 2020 की प्रति समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सहित समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को प्रेषित करते हुए उक्त नियम के अनुपालन में अपने विभाग से संबधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अवगत कराये जाने के आदेश निर्गत किये गए हैं।

भारत सरकार के उक्त नियम-2020 की धारा-10 में निम्नांकित प्राविधान किये गए हैं।

- समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों तथा कल्याण संबंधी उपायों के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित करेगी।

  उपर्युक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर हेतु कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और देख-रेख हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने का प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा (उक्त बोर्ड सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने) उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है-

1	माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नाम, निर्दिष्ट किन्नर समुदाय का सदस्य	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन	संयोजक
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य

11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
15	पुलिस आयुक्त, लखनऊ महानगर	सदस्य
16	किन्नर समुदाय के 5 प्रतिनिधि (क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का निर्धारण करते हुए अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
17	किन्नर समुदाय हेतु कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के 2 प्रतिनिधि (क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का निर्धारण करते हुए अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
18	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

(नोट- क्रम संख्या 4 से 14 तक सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को बोर्ड की बैठकों में प्रतिभाग हेतु नामित कर सकते हैं।)

- बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले गैर आधिकारिक सदस्यों के पारिश्रमिक, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकार्य और अंतिम रूप से निर्णीत होगा।

किन्नर कल्याण बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे-

- किन्नर कल्याण बोर्ड किन्नर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और किन्नर सहायता इकाई के कार्यों की समीक्षा करेगा। किन्नर समुदाय को जमीनी स्तर पर शामिल करने के साथ किन्नर सहायता इकाईयों की गतिविधियों का आंकलन और मूल्यांकन करेगा।
- बोर्ड नीति और संस्थागत सुधारों का सुझाव देगा जो गरीब किन्नर और अन्य जोखित वाले किन्नर समूहों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं तक पहुँच को सुगम और सक्षम बनाता हो।
- बोर्ड किन्नर समुदाय की भलाई सुनिश्ति करने हेतु लक्षित और केंद्रित दृष्टिकोण के लिए विभागों में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करेगा।
- किन्नर की समानता और न्यायसमता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करेगा। विकास परियोजनाएँ, कार्यक्रम और योजनाएँ तैयार करते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आवंटित कराने की व्यवस्था करेगा।
- किन्नर समुदाय की आवश्यकताओं, मुद्दों, समस्याओं और स्थानीय संदर्भों को समझने के लिए किन्नरों के हितार्थ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन करेगा। निष्कर्षों के आधार पर नयी जरूरतों पर आधारित योजनाएँ तैयार करेगा।

- बोर्ड जिला स्तरीय समिति या किन्नर सहायता इकाई द्वारा प्राप्त सभी प्रकरणों पर विचार करेगा तथा किन्नरों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर उचित दिशा-निर्देश निर्गत करेगा।
- भारत सरकार द्वारा निर्गत/प्रख्यापित उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकरों का संरक्षण नियमावली, 2020 में किन्नर (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति के परिचय-पत्र/पहचान प्रमाण-पत्र बनाए जाने के संबंध में निर्देश पत्र दिनांक 17-12-2020 एवं शासनादेश दिनांक 6-1-2021 के माध्यम से दिये जा चुके हैं।
- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा राज्य स्तरीय किन्नर सहयोग इकाई (ट्रांसजेण्डर सर्पोट यूनिट) का गठन किया जाएगा। जो मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगा।
    1. यह इकाई किन्नर से संबंधित समस्त मुद्दे/समस्याओं को देखेगी।
    2. वार्षिक योजना के साथ-साथ नीतियों के क्रियान्वयन की समय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में रिर्पोट शासन को यह इकाई प्रस्तुत करेगी। इसके लिए इकाई हाईब्रिड दृष्टिकोण रखेगी, जिससे क्रियान्वयन का कार्य शीघ्रता एवं निर्धारित समयान्तर्गत किया जा सके।
    3. किन्नर सहयोग इकाई (TSU) नीतियों के क्रियान्वयन, अपनी योजनाओं का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड (ट्रांसजेण्डर वेलफेयर बोर्ड) को प्रस्तुत करेगी।
    4. इन नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव सभी सम्बन्धित विभागों एवं हितधारकों के समन्वय एवं सम्पर्क किन्नर सहयोग ईकाई द्वारा स्थापित किया जाएगा।
    5. किन्नरों के मुद्दे/समस्याओं को एक साफ्टवेयर ऐप आधारित स्मार्ट कार्ड के द्वारा नियमित डाटा बेस तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने पर भी किन्नर सहयोग इकाई द्वारा कार्य किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति

किन्नरों के मुद्दे/समस्याओं के स्थानीय निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में एक जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो परिभाषित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा। समिति प्रत्येक माह एक बार बैठक करेगी। समिति का प्रारूप निम्नवत् है।

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	अपर मुख्यअधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
5	जनपद के नगर निगम, बोर्ड एवं पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
8	बाल विकास परियोजना अधिकारी (जनपद के समस्त)	सदस्य

9	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
10	मनोवैज्ञानिक (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
11	जिलाधिकारी द्वारा नामित किन्नर समुदाय के दो प्रतिनिधि	सदस्य
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी-

- जनपद के किन्नरों के कल्याणार्थ सम्मिलित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रम की निगरानी।
- किन्नर समुदाय के सदस्यों से स्वघोषणा प्रपत्र के साथ आवेदन पत्रों की प्राप्ति करके पहचान-पत्र सम्बन्धी मुद्दे पर राज्य स्तरीय किन्नर कल्याण बोर्ड (TWB) की सहायता करना।
- सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ सम्पर्क करते हुए किन्नर समुदाय को गैर-भेदभाव तरीकों से उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराना ताकि वे आंनदपूर्वक तथा तनाव मुक्त होकर अपना जीवन-यापन कर सकें।
- बलात्कार एवं संकट हस्तक्षेप केन्द्रों के मॉडल पर किन्नर समुदाय के समर्थन एवं संकट हस्तक्षेप केन्द्रों की स्थापना एवं निगरानी करना। ऐसे केन्द्र को परामर्श कार्यक्रमों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करना चाहिए जो किन्नर समुदायों को विपरीत ढंग से प्रभावित करते हैं। केन्द्र को किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के लिए सूचना केन्द्र एवं सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए। किसी भी विशिष्ट प्रकार के मामले में जनपद स्तरीय समिति को, राज्यस्तरीय किन्नर कल्याण बोर्ड को सूचित करना।
- किन्नरों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में आम जनता और जन सामान्य के कल्याण से सम्बन्धित अधिकारियों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- नीतिगत ढांचे के अधीन योजनाओं के निर्माण का औपचारिक प्रस्ताव किन्नर सहयोग इकाई (TSU) को प्रेषित करना।

किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन से ट्रांसजेण्डरों के शक्तिकरण की दिशा में एक अच्छी शुरुआत हुई है। धीरे-धीरे ही सही ट्रांसजेण्डर के प्रति समाज के नजरिये में भी बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुए करीब एक साल हो गया है, किन्तु कोई ठोस परिणाम अब तक नहीं निकला है। इसका एक प्रमुख कारण है कि बोर्ड के पास ट्रांसजेण्डर के लिए कोई बजट ही नहीं है, जिससे वह कोई गतिविधि शुरू कर सके। अभी तक जितनी भी योजनाओं की घोषणा हुई है वह सब केन्द्र की योजनाएँ हैं, राज्य की ओर से सिर्फ उनके क्रियान्वयन की बात हो रही है। ट्रांसजेण्डर के पंजीकरण की योजना भी केन्द्र सरकार की है। जिस गरिमा गृह की जोर-शोर से चर्चा हो रही है, वह भी केन्द्र की योजना है, उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी गरिमा गृह का संचालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित किन्नर कल्याण बोर्ड कुछ ठोस पहल कर सके इसके लिए उसके पास अपना बजट और कार्यक्रम का होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर पोर्टल और पंजीकरण की प्रक्रिया

आज के दौर में सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय को यह ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसके लिए नेशनल ट्रांजेण्डर पोर्टल आरंभ किया गया है।

इस पोर्टल के माध्यम से देश के सभी ट्रांसजेण्डर समुदाय के नागरिक अपना आईडी कार्ड तथा प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से अब ट्रांसजेण्डर समुदाय के नागरिक भी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे और आसानी से अपना आईडी कार्ड या प्रमाण-पत्र बनवा पाएंगे। नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी खुद अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है।

नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल के लाभ तथा विशेषताएँ

- नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल का आरंभ देश के ट्रांसजेण्डर समुदाय को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपना आईडी कार्ड तथा प्रमाण-पत्र खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर ग्रीवेंस सुविधा भी उपलब्ध है।
- अब देश के ट्रांसजेण्डर समुदाय के नागरिकों को आवेदन करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस पोर्टल के माध्यम से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- यह प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके लाभार्थी अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आईडी कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल का लाभ देश का प्रत्येक ट्रांसजेण्डर समुदाय का नागरिक उठा सकता है।

नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (पात्रता)

- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड

- निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर लॉग-इन करने की प्रक्रिया

- सबसे पहले आपको नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग-इन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉग-इन कर पाएंगे।

नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम आपको नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर हेयर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, राज्य आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर पंजीकरण कर पाएंगे।

नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल से आईडी कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम आपको नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग-इन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपका आईडी कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा।
- आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।

नोट –

- आवेदक का प्रमाण-पत्र आपके जिला अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- आवेदक के लिए आयु पात्रता का मानदण्ड नहीं है। किस भी आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- यदि कोई आवेदनकर्ता चाहे तो जिला के कार्यालय में जा कर आफॅलाइन फॉर्म भर कर आवेदन कर सकता है।
- आवेदन के लिए किसी भी तरह के शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कई तरह की चुनौतियाँ है। ट्रांसजेण्डर समुदाय पहले से ही हाशिये पर है और जो अशिक्षित हैं उनके पास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। नेशनल ट्रांसजेन्डर पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 333 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 124 लोगों को पहचान-पत्र निर्गत हो गया है जबकि 209 आवेदन पेंडिंग है। यह दर्शाता है कि कितनी कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें भी आधे से अधिक पेंडिंग हैं। सरकार को इस प्रक्रिया को और सुलभ बनाना चाहिए और दस्तावेज से संबंधित कार्य व अन्य शिकायतों के लिए सहायता केंद्र बनाना चाहिए।

ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएँ

ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपायों को धरातल पर लागू करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड के गठन के बाद से अब तक (लगभग साल भर) विभिन्न बैठकों में अब तक कई घोषणाएँ हुईं, जैसे कि ट्रांसजेण्डर के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए ट्रांसजेण्डर विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रमों में इस प्रकार परिवर्तन लाया जाए ताकि आमजन को ट्रांसजेण्डर से संबंधित विषयों पर जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सके।

आश्रम पद्धति विद्यालय में ट्रांसजेण्डर समुदाय के बच्चों को भी मुफ्त आवासीय शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ मिलने की व्यवस्था की जाएगी।

स्कूल, कॉलेज एवं कार्यस्थल पर ट्रांसजेण्डर की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये गए।

बोर्ड ने तय किया है कि बेवसाइट, हेल्पलाइन नंबर एवं इंटरनेट मीडिया पर भी इस संबंध में पेज बनाए जाएँ।

ट्रांसजेण्डर के लिए प्रत्येक जिले में गरिमा गृह खोलने के संबंध में इच्छुक एनजीओ से संपर्क कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए और इन गरिमा गृहों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए कौशल विकास संबंधी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

यूपी में पहले ट्रांसजेण्डर पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना लखनऊ में कैसरबाग थाने में की गई, इस केन्द्र पर अब ट्रांसजेण्डरों की शिकायतों पर 24 घंटे सुनवाई की जाएगी। इस पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि थर्ड जेण्डर समुदाय खुलकर अपनी बात रख सकें, यहाँ पर ट्रांसजेण्डरों की शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

किन्नर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक में ही ट्रांसजेण्डरों के लिए प्रदेश के हर थाने पर अलग से सेल बनाने का फैसला लिया गया था। इस सेल का काम ट्रांसजेण्डरों के साथ होने वाले अपराध की निगरानी, समय से उनकी शिकायतों पर कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करना व न्याय दिलाना होगा।

शिक्षित किन्नरों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। इससे उनके पास रोजगार पाने का अवसर होगा। उन्हें रोजगार मेले में शामिल होने का भी मौका मिलेगा।

ट्रांसजेण्डर वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा गया है। देशभर में ट्रांसजेण्डर वर्ग के उन लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, जिनके पास नेशनल पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेण्डर प्रमाण-पत्र हैं। इस योजना में उन सभी ट्रांसजेण्डर लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य प्रायोजित अन्य ऐसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। सामाजिक न्याय और

अधिकारिता मंत्रालय प्रति वर्ष प्रति ट्रांसजेण्डर पाँच लाख रुपये का बीमा कराएगा, जहाँ ट्रांसजेण्डर समाज को न सिर्फ आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी मुफ्त में होगी।

आयुष्मान भारत योजना के साथ स्माइल योजना को लिंक करते हुए इस चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज के अंतर्गत ट्रांसजेण्डर समाज को एक विशेष आयुष्मान भारत टीजी प्लस् कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत मुफ्त में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के तहत केन्द्रीय सोशल वेलफेयर से रजिस्टर ट्रांसजेण्डर को अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा और वहीं से रजिस्टर ट्रांसजेण्डर का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल वे देश में कहीं भी कर सकेंगे। वहीं अगर किसी ट्रांसजेण्डर का रजिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर मंत्रालय में नहीं है, तो पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी यह कार्ड बन सकेगा।

गरिमा गृह का मुख्य उद्देश्य निराश्रित और परित्यक्त ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा यह ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण व कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

गरिमा गृह का निम्नलिखित उद्देश्य है -

- आवास और बोर्डिंग, कपड़े, भोजन मनोरंजन, चिकित्सा और परामर्श की सुविधाओं के साथ आश्रय गृह सुनिश्चित करना।
- गरिमा गृह में बुनियादी ढांचे, जनशक्ति सेवाओं के मामले में एकरूपता बनाए रखना।
- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें अत्याचार से बचाना।
- सभी ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने के लिए उपयुक्त समान नियमों और विनियमों को अपनाकर गरिमा गृह में सौहार्दपूर्ण वातावरण की व्यापकता की पुष्टि करना।
- कौशल-विकास और कौशल-उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से एक ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को सशक्त बनाना।
- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सहायता प्रदान करना
- कौशल विकास और कौशल उन्नयन के माध्यम से एक टीजी व्यक्ति को सशक्त बनाना।

दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जनपदों में उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाए। इसके अंतगर्त प्रत्येक जनपद के प्रत्यके कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल, एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाए।

इसी दिन निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार प्रदेश में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण प्रावधानों सहित रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण के सम्बन्ध में प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और संकाय के सुग्राहीकरण के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

- समानता और लैंगिक विविधता के लिए सम्मान पैदा करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यचर्या में बदलाव।

- स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी पेशेवरों का सुग्राहीकरण।
- मेडिकल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव।
- कार्यस्थलों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम और
- सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी एक समिति होगी, जिस तक किसी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव के मामले में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुंच होगी। इस समिति के पास ऐसे अधिकार होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को परेशान करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 25 सितम्बर 2022 के अंर्तगत निणर्य लिया गया कि ट्रांसजेण्डर नवजात शिशु के जन्म के पश्चात् पहचान होने पर उसे अपने माता-पिता के साथ ही रहने एवं ट्रासंजेण्डर नवजात शिशु के जन्म की सूचना से सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराएँ ताकि ट्रांसजेण्डर बच्चों के हित में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश चाईल्ड लाईन एवं ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश को अवगत कराने से उक्त बच्चों का उज्वल भविष्य बन सके।

उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली -2014 के अध्याय-4 की धारा-19 के अधीन प्रदेश के 75 जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित/स्थापित (150 संवासियों की क्षमता) वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजनों के लिए जो मानक एवं मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं, उन्हीं मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार किन्नर समुदाय के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय, गरीब, अशक्त, बेसहारा व अन्य सामाजिक कारणों से पीड़ित एवं जिनके परिजन भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं तथा ऐसे वरिष्ठ ट्रांसजेण्डर, जो वृद्धाश्रम में रहने के स्वयं इच्छुक हैं, को वृद्धाश्रम में प्रवेशित/आवासित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

केस स्टडी

केस स्टडी 1

शोषण और भेदभाव से भरा नजरिया

फरहा नाज लखनऊ के रहने वाले हैं। इस समय उनकी उम्र 38 साल है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अब उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे। अपने तीन भाई और तीन बहनों में फरहा नाज सबसे छोटे हैं। वह चौक में अपने पारिवारिक घर में अन्य भाईयों से अलग रहते हैं।

वह बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही लड़कियों के साथ खेलना पसंद था, लड़कों से उनकी दोस्ती नहीं होती थी। यहाँ तक कि स्कूल के किसी कार्यक्रम में जब कोई ड्रामा होता था तो वह कभी क्वीन या कभी परी का रोल करते थे। उनका अंदाज देख कर स्कूल के लड़के भी उनके पीछे पड़े रहते थे। कभी टायलेट जाते थे तो कई लड़के पीछे-पीछे आ जाते थे, और उन्हें परेशान करते थे। जब वह 7वीं क्लास में थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह दूसरे लोगों से अलग हैं।

फरहा बताते हैं कि वह कभी यह सब समझ नहीं पाते थे, यही सोचते थे कि वह इस समाज में अपनी तरह के अकेले हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन एक दिन एक कार्यक्रम में उनकी एक और लड़के से मुलाकत हो गई, वह भी इनकी तरह था। उससे मिलकर अच्छा लगा और दोस्ती हो गई। उनके इस दोस्त ने उन्हें एक दिन बताया कि एक संस्था है जो इस विषय पर काम करती है, जहाँ हमारी तरह के और लोग भी हैं। वह हमारे जैसे लोगों की मदद भी करती है। फरहा नाज भी उस संस्था आने-जाने लगे। वहाँ प्रत्येक रविवार को कुछ कार्यक्रम होते थे, इस तरह वह प्रत्येक रविवार को जाने लगे।

फरहा नाज बताते हैं कि जब वह बड़े हुए तो जॉब की तलाश शुरू की और वह एक स्कूल की लाईब्रेरी में काम करने लगे। वहाँ उनका यौन शोषण हुआ और उन्होंने वह जॉब छोड़ दी। फिर कई जगहों पर नौकरी की। एक बार एक कंट्रक्शन कम्पनी में जॉब शुरू किया, वहाँ एक इंजीनियर उनका यौन शोषण करने लगा और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो चोरी का इल्जाम लगा देंगे और तुम्हें फंसा देंगे। यह बात फरहा नाज ने जिस संस्था में जाते थे वहाँ बताई तो लोगों ने साथ देते हुए कहा कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाए। लेकिन फरहा लोकलाज के डर से इसके लिए तैयार नहीं हुए, बस वह जॉब छोड़ दी। इसके बाद उसी संस्था में काम करने लगे।

संस्था में काम करने के दौरान फरहा को एक लड़का मिला जिससे उन्हें प्यार हो गया। वह बाद में उनका बॉयफ्रेंड बन गया। यह दोस्ती कई सालों तक चलती रही। लेकिन इनके इस बॉयफ्रेंड ने एक लड़की से रिश्ते बना लिए। फरहा ने कोशिश की उनका रिश्ता बना रहे, लेकिन एक दिन उनका अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट गया। उसके बाद से फरहा नाज ने अकेले रहने की ठान ली और अपना काम करने लगे।

फरहा नाज ने अपने साथियों के साथ एक संस्था बनाई और अपने समुदाय (एलजीबीटी) के लिए काम करने लगे। उनका कहना है कि वह अकेले रहते हैं और अपने साथियों के साथ सामाजिक सेवा का काम करते हैं। कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं, अन्यथा कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है। उनके पास सभी पहचान-पत्र भी हैं, जिसका वह दूसरे लोगों की तरह उपयोग भी करते हैं। फरहा कहते हैं कि ऐसे तो कोई समस्या नहीं है, किन्तु हमें समाज में कोई

स्वीकार नहीं करता, हमारे प्रति समाज का नजरिया बहुत भेदभाव वाला है। यदि यह बदल जाए तो हमारे लिए जीना आसान हो जाए। कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, लगता है जीवन अधूरा है।

केस स्टडी 2

शरीर से अलग आत्मा की पहचान

शिवांश मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके घर में मम्मी-पापा और एक भाई-बहन हैं। उन्होंने बी.कॉम. किया है। उनके पिता जी का पहले खुद का बिजनेस था किन्तु एक्सीडेंट हो जाने के बाद स्थितियाँ बदल गईं और वह प्राईवेट जॉब करने लगे। शिवांश जब ग्यारवीं कक्षा में थे, तभी से जॉब कर रहे हैं। आजकल वह अपने एक मित्र के साथ पार्टटाइम बिजनेस कर रहे हैं, इसके साथ ट्रांसजेण्डर के लिए काम करने वाली एक संस्था से भी वालिंटियर के तौर पर जुड़े हैं। शिवांश को जानवरों से बहुत लगाव है और वह जानवरों के लिए भी काम करते हैं। उन्होंने अपने कई मित्रों को भी इस काम में शामिल किया हुआ है।

शिवांश बताते हैं कि जब वह पाँच या छः साल के थे तभी से यह महसूस करने लगे कि वह एक लड़के हैं, उन्हीं के कपड़े पहनते थे। बच्चों के साथ खेलते भी थे। घर के लोग लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए दबाव डालते थे, लड़कियों की तरह रहने के लिए कहते भी थे, इसके लिए शिवांश को कई बार घर में मार भी खानी पड़ी। लेकिन शिवांश की मुश्किल यह थी कि वह फीमेल के कपड़ों में बहुत उलझन महसूस करते थे। उनका पूरा बचपना इसी उलझन और पशोपेश में गुजरता रहा। 14 साल की उम्र रही होगी जब उन्हें पीरियड आने शुरू हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। उन्हें लगा जैसे यह उनका शरीर नहीं है। उन्होंने यूट्यूब पर कई वीडियों देखे लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। उन्होंने इस बारे में अपने भाई से पूछा कि क्या तुम्हे भी ऐसा होता है, उसने बताया कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है। इन्हीं उलझनों के बीच शिवांश ने एक फिल्म देखी तो पता चला कि कोई और भी जेण्डर होता है। पहली बार उन्हें ट्रांसजेण्डर के बारे में पता चला।

शिवांश बताते हैं कि जब वह कक्षा 11 में थे तो उनके एक मित्र ने बताया कि वह उनसे प्यार करता है। तब पहली बार उसे बताना पड़ा कि मैं भी एक पुरुष हूँ, हम लोग इस सम्बन्ध में नहीं बंध सकते। बी.कॉम. करते हुए पहली बार शिवांश की एक लड़की से दोस्ती हुई और सम्बन्ध बने, जिसके बाद आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर अपने घर में सभी को बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और यह भी कि मैं शारीरिक रूप से एक लड़की हूँ लेकिन मेरे अन्दर एक लड़के की आत्मा है, खुद को एक पुरुष के रूप में महसूस करता हूँ और समझता हूँ। पहले तो घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे, गुस्सा भी हुए और कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें किसी डाक्टर को दिखाएँगे, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन शिवांश अपनी बात को घर वालों को समझाने में सफल रहे।

वह अभी खुद कमाते हैं और अपने खर्च के अलावा अपने परिवार को भी मदद करते हैं। उनकी इच्छा है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो पैसे मिल जाएँ फिर अपना ट्रांसप्लांट करांऊ। वह एक पुरुष के रूप में ही खुद को पहचाना जाना पंसद करते हैं। शिवांश को गाने और घूमने का बहुत शौक है। वह एक अच्छे स्केचिंग आर्टिस्ट हैं। उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समस्या नहीं है।

उनका मानना है कि हम जिस समाज में रहते हैं, वह हमारे जैसे लोगों को सहयोग नहीं करता है।

केस स्टडी 3

योजनाओं की जानकारी नहीं, लाभ दूर की बात

कृषिका लखनऊ के खदरे में एक किराये के मकान में रहती हैं। इस समय वह 32 साल की हैं। वह मूलरूप से लखनऊ की ही रहने वाली हैं। वह दो भाई और तीन बहन हैं। सभी की शादी हो गई है। कृषिका ने आठवीं तक पढ़ाई की हैं। 17 साल की उम्र से ही वह घर से अलग रह रही हैं। अभी खदरा में 2500 रुपये का कमरा लेकर किराये के मकान में अकेले रहती हैं, और बधाई माँग कर अपना खर्च चलाती हैं।

कृषिका बताती हैं कि लोगों को लगता है कि बधाई माँगने में बहुत पैसा है लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि हम जो भी पैसा बधाई माँग कर कमाते हैं, उसमें से आधे से भी ज्यादा अपने गुरु को देना होता है। वह बताती हैं कि आमतौर पर बधाई में 500 रुपये से 1000 रुपये तक मिल जाता है जिसमें गुरु का भी हिस्सा होता है। कोविड के दौरान बहुत मुश्किल हुई, बाहर निकलना बंद हो गया। कोई आमदनी नहीं हुई, खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उनका कहना है कि हम लोग आपस में उधार लेते-देते हैं। ज्यादा जरूरत हो तो गुरु से उधार लेते हैं जिसे समय पर चुकाना होता है। बैंक हमें लोन नहीं देता है।

वह बताती हैं कि हमारे समाज में गुरुओं को बहुत आदर होता है। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनकी बात को टालते नहीं हैं। यदि कभी कोई बाहर विवाद हो जाए तो गुरु हमारी मदद करते हैं। आपस में कभी कोई विवाद हो जाए तो गुरु के नेतृत्व में हमारे समाज की पंचायत होती है जहाँ निणर्य लिया जाता है, जिसे सभी को मानना होता है। उनका कहना है कि किन्नरों के सभी आपसी विवाद आपस में ही निपटाए जाते हैं। हमारे संरक्षक के तौर पर आधार कार्ड पर भी गुरु का नाम है, हमारे जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।

कृषिका बचपन से ही खुद को एक लड़की के तौर पर महसूस करती रही हैं। वह कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना के खत्म होने के साथ ही उनका बधाई माँगने वाला काम फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। उनका मानना है कि सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, लेकिन अभी किन्नरों की भलाई के लिए कुछ हुआ हो उन्हें जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि पंजीकरण भी नहीं हुआ है, योजनाओं की भी जानकारी नहीं है, ऐसे में किसी लाभ की बात बहुत दूर की है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि किन्नर कल्याण बोर्ड बना है तो कुछ न कुछ जरूर होगा। कृषिका भी चाहती हैं कि समाज हमारे बारे में जाने, हमारी तकलीफों को समझे, सिर्फ हमारा मजाक न उड़ाए। हम भी इस समाज का हिस्सा हैं।

केस स्टडी 4

मैं खुशकिस्मत हूँ, पर हमारे जैसे लोग भटक रहे हैं

मोहिनी पिछले 8 सालों से आगरा में रह रहे हैं। 36 साल की मोहिनी जैविक रूप से एक महिला शरीर में हैं लेकिन वह खुद को एक पुरुष के रूप में पहचाना जाना पसंद करते हैं। मोहनी का जन्म मुरैना में हुआ था पर अब उनका परिवार आगरा में ही बस गया है। वह बताते हैं कि हमारा परिवार बहुत ही आर्थिक मुश्किलों में फंस गया था, फिर 2003 में वह सपरिवार आगरा आ कर बस गए। मोहिनी के परिवार में माता-पिता और चार भाई-बहन हैं। जिसमें वह तीन बहन और एक भाई है, मोहिनी दूसरे नम्बर की बहन है। इन्होंने समाजशास्त्र में एमए और आईटीआई किया है।

मोहिनी जब आठवीं में थे तो उन्हें एहसास हुआ कि वह एक पुरुष के रूप में खुद को पाते हैं। उनका व्यवहार एक पुरुष की तरह है। आगरा में उनके पापा की दवा की दुकान थी, जहाँ वह काम करते थे, देर रात गए दुकान बंद होने पर वह घर आते थे। आस-पड़ोस के लोग कहते थे कि लड़की हो लड़की की तरह रहा करो, ज्यादा बाहर न निकला करो, देर रात अकेले घर आना ठीक नहीं है। अपने लिए अक्सर वह इस तरह की बातें सुनते रहते थे। बड़े होने पर एक दिन मोहिनी ने अपना काम शुरू किया, दिन-रात मेहनत की और अच्छा पैसा कमाने लगे। सभी बहनों और भाई की शादी हो गई, भाई को भी एक बिजनेस में लगा दिया। आर्थिक नजरिये से जीवन सुचारू ढ़ंग से चलने लगा।

मोहिनी अपनी चाल-ढाल में खुद को पुरुषों की तरह महसूस करते थे। वैसे ही कपड़े पहनते हैं। किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। 14 साल की उम्र में सामान्य रूप से पीरियड्स भी आने लगे। लेकिन वह खुद को एक पुरुष के रूप में ही स्वीकार करते थे। उनकी एक गर्लफ्रेन्ड रही जिसके साथ वह 8 साल लिव इन रिलेशन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की ने इनका साथ छोड़ दिया और कहीं अन्यत्र शादी कर ली जिससे इन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ गए। मोहिनी उस लड़की के साथ एक स्कूल भी चला रहे थे। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो बन्द हो गया। फिलहाल अब उससे पूरी तरह सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है।

पिछले साल मोहिनी ने एक एकल महिला के रूप में शहर के ही एक अस्पताल से एक बच्चे को गोद लिया। दरअसल शहर का ही एक दम्पत्ति जो बच्चा नहीं चाह रहा था, उसके पहले से ही कई बच्चे थे, वह एबार्शन कराना चाह रहा था। मोहिनी को पता चला तो जाकर बात की और उससे कहा कि वह बच्चे को नुकसान न पहुँचाएँ, वह उसे गोद लेना चाहेंगे। उस दम्पत्ति ने भी यही उचित समझा और मोहिनी को बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की। बच्चा अब लगभग साल भर का हो गया है, जो पूरी तरह स्वस्थ है। मोहिनी को उस बच्चे से बहुत प्यार है।

आगरा में ही रिश्ते की एक भाभी के यहाँ एक महिला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और फिर मोहिनी उस महिला के साथ शादी के लिए तैयार हो गए। मोहिनी ने उस महिला से कोई बात छुपाई नहीं, अपने बारे में सबकुछ बता दिया। एक-दूसरे से बारे में पूरी तरह जान-समझकर दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। 8 जुलाई २०२२ को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे पंजीकृत भी करा लिया। आज 36 साल के मोहिनी अपने गोद लिए बच्चे और पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। वह खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं और

उनकी पत्नी शहर के ही एक ब्यूटीपार्लर में काम करती हैं। मोहिनी बताते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच पूरी समझदारी है और वह दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ महीने पहले मोहिनी ने अपने चेस्ट का ऑपरेशन करवा दिया, जिससे वह अब पूरी तरह न सिर्फ पुरुष के रूप में खुद को महसूस करते हैं बल्कि दिखते भी पुरुषों की तरह ही हैं।

हालांकि मोहिनी के माता-पिता ने यह सब स्वीकार नहीं किया। वह अपने माता-पिता से अलग रहने लगे हैं। वह चाहते हैं कि घर-परिवार के लोगों के साथ उनका सम्बन्ध बना रहे। वह जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, वह भी सभी में घुलमिल गए हैं। उनका कहना है कि वैसे तो हम अपने जीवन में खुश हैं, खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, किन्तु हमारे जैसे लोगों को बहुत तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। न तो कोई हमारे एहसास को समझता है, न ही समाज स्वीकार करता है। समाज का नजरिया हमारे प्रति बहुत तकलीफदेह है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार बस गया और जीवन चल पड़ा, अन्यथा हमारे जैसे लोग भटक रहे हैं जिन्हें जीवन में किनारा नहीं मिल रहा है।

केस स्टडी 5

शोषण और आंतरिक संघर्ष की दास्तान

अरमान का जन्म असम में हुआ था। परिवार में माता-पिता और तीन भाई-बहन हैं। अरमान घर में सबसे बड़े हैं। बाद में उनका परिवार मध्यपूर्व में चला गया था। उन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की फिर भारत लौट आए और यहाँ आगरा में रहने लगे। इस समय उनकी उम्र 28 वर्ष है। उनके अनुसार लिंग की प्रचलित अवधारणा के अनुसार वह एक पुरुष शरीर में हैं किन्तु वह पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए आकर्षण महसूस करते हैं। इसलिए हम उन्हें उभयलिंग व्यक्ति मान सकते हैं। समय के साथ उनके पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ सहमति से संबंध रहे हैं।

करीब 10 साल की उम्र में जब वह अपने परिवार के साथ मध्यपूर्व में थे तो एक उम्रदराज पुरुष द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वह अरमान को उपहार, चाकलेट और पैसे देता था और विरोध करना छोड़ कर यौन क्रियाओं में साथ देना सिखाता था। अरमान यह सब सहते रहे लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई। जब वह हाईस्कूल में पढ़ रहे थे, तो स्थिति और खराब हो गई। वहाँ वह छात्रों के एक गिरोह से जुड़ गए, जहाँ गिरोह के अन्य लड़कों और नेताओं ने उसके साथ बलात्कार किया। इस समय उनकी उम्र 16 साल रही होगी। बाद में जब वह 19 साल के हुए तो वह कॉलेज जाने लगे जहाँ उन्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया और बाद में खुद उसे पसंद करने लगे। जब उन्होंने यह बात अपने मित्र को बताई तो वह मित्र क्रोधित हो गया, जिससे अरमान अपने को दोषी मानने लगे और शर्मिंदगी भी महसूस करने लगे।

अरमान बताते हैं कि उनके जीवन में आए कुछ पुरुषों ने बचपन में ही उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे कहीं अंदर से दबा दिया था। यदि कोई पुरुष उसे सम्मान देता था तो उसे उसका यह व्यवहार अच्छा लगता था, और वह उसे पंसद करने लगता था। वह अपने पुरुष मित्रों से प्यार चाहता था, लेकिन ऐसी कोशिश करते ही ज्यादातर लोग उसे नापसंद करने लगते हैं। अरमान कहते हैं कि अगर कोई पुरुष मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुरू में जब वह इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करता था तो उनकी प्रतिक्रिया सही नहीं रही। अरमान के कुछ करीबी दोस्त ही हैं जो उसके आंतरिक संघर्षो को समझते हैं। ये दोस्त उसका हौसला भी बढ़ाते हैं और मदद करते हैं। उसके माता-पिता और भाई-बहन अभी भी उन्हें एक पागल व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वह उसके संघर्षों के बारे में नहीं जानते हैं कि वह कैसा महसूस करता है और उस पर क्या बीतती है। आरमान बताते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा भी अपना स्वस्थ खुशहाल परिवार हो।

केस स्टडी 6

पिताजी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की

यह कहानी सलमान की है। वह अपने बारे में बताते हैं कि जब वह महज 2 वर्ष के थे तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। पिता जी ने यह दलील देते हुए अपनी दूसरी शादी कर ली कि मेरा पुत्र छोटा है, इसकी देखरेख के लिए एक महिला रहेगी तो इसका लालन-पालन सही ढंग से हो पाएगा। किन्तु इनकी सौतेली माता का रवैया इनके साथ बहुत ही हिंसात्मक तरीके का था, वह इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आए दिन इनके साथ मारपीट करती थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि घर में सारे लोग इन्हें एक पुरुष की तरह देखते थे और इसीलिए इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इनका खतना हुआ। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, अपने शरीर में कुछ अलग लगने लगा। चलने और बोलने का तरीका कुछ-कुछ लड़कियों की तरह होता जा रहा था, जिसको लेकर घर के सारे लोग टीका-टिप्पणी करने लगे। पड़ोस के लोग भी देखकर तरह-तरह से तंग करते थे।

जैसा कि सलमान बताते हैं कि जब वह पांचवी कक्षा में थे, तब वह यह सब बदलाव को अनुभव कर रहे थे, बचपन से ही बाल लंबे रखते थे और पिता जी स्वयं इनकी चोटी बनाते थे और मदरसे में पढ़ने के लिए ले जाते थे। वहाँ भी इनके साथ भेदभाव होता था, सभी तरह-तरह से मजाक उड़ाते थे, जिससे वह बहुत असहज महसूस करते थे। एक दिन सारे बच्चों का वजीफा आया लेकिन इनका नहीं आया, पिता जी ने पूछा कि क्या हुआ सबका वजीफा आ गया लेकिन तुम्हारा नहीं आया तो अपने पिता को बरगलाने के लिए बोल दिया कि एक-दो हफ्ते में आ जाएगा। एक दिन पापा ने कहा कि पड़ोस का लड़का तो कह रहा था कि सबका आ गया है। सलमान ने अपने पिता जी को बताया कि गुरुजी ने कहा कि कुछ दिक्कत है, लेकिन आ जाएगा। इसी बीच एक दिन गुरुजी अर्थात मौलवी साहब ने पिता जी को मदरसे में लेकर आने को कहा और फिर उस दिन यह पोल खुली कि यह स्कूल के लिए तो निकलते हैं, लेकिन जब से पिता जी ने स्कूल छोड़ना बंद किया है, सलमान स्कूल में ना जाकर इधर-उधर भटकता रहता है, और जब छुट्टी होती है तो पुनः घर आ जाता है। फिर एक दिन मौलवी साहब ने कहा कि कल अपने पिता को लेकर विद्यालय आना अन्यथा मत आना। जब पिता जी मदरसे में पहुँचे तो मौलवी साहब ने कहा पहली बात यह है कि यह स्कूल नहीं आता है, आए दिन नदारद रहता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का आपके पुत्र का चाल-चलन और व्यवहार है, वह अन्य बच्चों को प्रभावित कर रहा है और इनके संपर्क में रहकर विद्यालय के और बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसका नाम कटा कर यहाँ से लेकर जाएं।

सलमान बताते हैं कि जब पिता जी मदरसे से निकल कर घर आए तो बहुत मारापीटा और कहा कि इस तरह की हरकत के बारे में दुबारा सुना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँगा। दरअसल पिता जी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कभी इस बारे में बात ही नहीं की कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। कुछ दिन बीतने के बाद सलमान की माता जी ने उसके पिता जी से उसके इसी रवैए को लेकर शिकायत की कि यह घर में कमरे में बंद होकर दुपट्टा ओढ़ता है, लाली-लिपस्टिक लगाता है और सजता-सँवरता है। गली में निकलता है तो लोग इसे देखकर तरह-तरह की बातें करते हैं। यह सब सुन कर पिता जी ने पुनः मारपीट की और डाई करने वाली दुकान पर काम पर लगा दिया। चूँकि डाई में केमिकल होता है और इस छोटी उम्र में घर से दूर रहना व

जिसके बारे में जानकारी नही है वह काम करना, इससे सलमान को दिक्कत आने लगी और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे फेफड़े में संक्रमण हो गया। इस स्थिति को देखते हुए उसके पिता जी ने डाई की दुकान से निकालकर उसकी माता के साथ काम में लगा दिया, जो साड़ियों से अतिरिक्त धागे को काटने का काम करती थी। (साड़ियों की जब बुनाई होती है और उस पर कोई डिजाइन बनाई जाती है तो कुछ धागे अतिरिक्त रह जाते है, उनको काटने का कार्य जिससे साड़ी की फिनिश अच्छी आए।) क्योंकि माता जी सलमान को पसंद नहीं करती थीं इसलिए उन्होंने जानबूझकर साड़ियों को गलत काट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिता जी ने सलमान को मारापीटा और उसे सिलाई करने वाली दुकान पर लगा दिया। यहाँ उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता, गलत और अपमानजनक टिप्पणी की जाती, जिसकी शिकायत सलमान अपने पिता से करता तो वह ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता कि इसी की गलती होगी। उन्होंने कहा कि तुम अपना रवैया ठीक करो। धीरे-धीरे वक्त बीतता गया और सलमान घुटन महसूस करने लगा।

एक दिन मोहल्ले के लोगों ने सलमान के पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा लड़कियों की तरह रहता है, इसका व्यवहार छक्कों की तरह है और तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर आक्रोशित हो कर उसके पिता ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब आज के बाद मेरा तुमसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम यहाँ लौट कर ना आना। उस वक्त सलमान की उम्र करीब 12 या 13 साल की रही होगी। सलमान जब घर से निकला तो अपनी बुआ के घर गया। बुआ ने उसे अपने घर में जगह दी। इसी दौरान उसने एक टोली को बधाई माँगते आते देखा, इसी समय टोली के लोगों ने भी उसे देखा। टोली के एक सदस्य ने उसे अपने पास बुलाया और उसका हालचाल पूछा और चले गए। लेकिन एक दिन सलमान दुबारा उस टोली के लोगों से टकरा गया, उन लोगों से बात करके उसे अच्छा लगा। जिसे सब लोग दादी कह कर सम्बोधित करते थे, उनसे आकर्षित होकर वह उनके साथ डेरे पर रहने लगा। शुरू में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात डेरे के अन्य सदस्य इस बात पर उंगली उठाने लगे कि यह दिनभर घर में रहता है और कहीं बधाई माँगने के लिए भी नहीं जाता। हम लोग जो माँग कर लाते हैं, यह उस पर पल रहा है। यह सब कब तक चलेगा। इसे भी बधाई माँगने के लिए भेजा जाए। इस पर डेरे की दादी मां ने कहा कि अगर इसे बधाई माँगना पसंद नहीं है तो यह नहीं माँगेगा, इसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। इस पर डेरे के अन्य लोगों ने कहा फिर हम भी कल से बधाई माँगने नही जाएँगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करने लगा। जिसकी वजह से वह उन्हीं के घर में रहने लगा। धीरे-धीरे घरवालों से उसका अच्छा रिश्ता बन गया। वह घर की मालकिन को बुआ कहता था।

सलमान बहुत दुखी मन से सोचते हैं कि क्या वास्तव में मेरे पिता ने मेरी परवरिश के लिए शादी की थी या अपने शौक के लिए की थी। मुझे जब घर से निकाला गया तो मेरी उम्र बहुत कम थी, हम पर क्या गुजरी यह हमीं जानते हैं। वह बताते हैं कि मेरे घर से निकलने के बाद एक दिन माता जी भी घर से चली गईं। पिता जी बहुत शराब पीने लगे। उनके मेरे अलावा कोई सन्तान नहीं हुई। शराब पीने की वजह से वह बीमार रहने लगे। उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं रहा। जब वह बहुत बीमार हो जाते हैं तो सलमान उन्हें देखने घर जाते हैं। उसे बहुत दुख होता है। इस दौरान पिता जी उसे उसकी जिम्मेदारियाँ समझाने लगते हैं, और पिता की भूमिका में आ जाते हैं। जब वह अपने पिता जी का इलाज करा देता है तो वह उसे पुनः भगा देते हैं। आसपास के लोग भी पिता जी को उसके खिलाफ भड़काते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है वह उसे अपनाते हैं और जब जरूरत नहीं रहती तो उसे भगा देते हैं। एक दिन बुआ ने बताया कि उसके पिता जी बहुत बीमार

हैं, वह दौड़ कर गया और अपने पिता जी का इलाज कराया। उसके ताऊ जी व चाचा जी ने पिता जी को अपने पास रखने से इंकार कर दिया। सलमान का घर दो मंजिला है। जिस कमरे में वह लोग रहते थे, पिता जी को निकाल कर उसमें ताला बंद कर दिया। सलमान ने ताला खोलने के लिए कहा लेकिन उन लोगों ने ताला नहीं खोला और उसे भगा दिया। एक दिन बारिश होने लगी, वह पन्नी लेकर आया और उसे बांध कर आंगन में रहने की व्यवस्था की। पिता जी और वह पन्नी के नीचे चारपाई डालकर रहने लगे। एक दिन ताऊ जी और चाचा जी ने पिता जी से कहा कि जब तक यह रहेगा कमरे का ताला नहीं खुलेगा। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने कमरे में आग लगा दी जिसमें सलमान की मदरसे से मिली पाँचवीं की डिग्री भी जल गई। इस बीच जब पिता जी ठीक हुए तो उन्होंने भी पाला बदल लिया। इस बात से सलमान को बहुत बुरा लगा किन्तु अपना फर्ज समाझते हुए वह अपने पिता जी का इलाज कराता रहता है। कुछ दिन पहले ही उसने अपने पिता जी के बीमार होने पर उन्हें कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया। डाक्टर ने कहा कि वह शराब पीना छोड़ दें, नहीं तो वह नहीं बच पाएँगे। लेकिन पिता जी मानने वाले नहीं थे।

लगभग 15 महीने बाद सलमान जिनके घर में रहते थे, वहाँ बुआ की मृत्यु हो गई। सलमान फिर भी काम करते रहे, लेकिन एक दिन बुआ के बेटों ने उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया जिससे दुखी होकर उन्होंने वह काम और घर छोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर वही चुनौती सामने आ गई कि आगे का जीवन कैसे गुजारा जाए। सलमान ने दुबारा दादी माँ की शरण ली, लेकिन वहाँ रहकर भी बधाई माँगने का काम करने की जगह होलसेल की दुकानों से साड़ियों को लेकर लोगों के घर-घर जाकर बेचने लगे। किन्तु बहुत सी महिलाएँ इनका व्यवहार देखकर साड़ी खरीदने से मना कर देती थीं। कई बार वह उनके इस काम पर उंगली उठाती थीं कि तुम यह काम क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे लोग तो बधाई माँगने का और नाचने का काम करते हैं, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? लेकिन सलमान इससे घबराए नहीं, और अपना साड़ी बेचने का काम करते रहे। धीरे-धीरे उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी और उनका झुकाव सामाजिक कार्यो की तरफ बढ़ने लगा। इस प्रकार वह अपने समुदाय में भी रहने लगे और सामाजिक कार्यो में भी हिस्सा लेने लगे। इसी बीच करोना काल भी आ गया तो काम बंद हो गया। जो भी अब तक कमाया था वह धीरे-धीरे खत्म होने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और किन्नर समुदाय को भी मदद की। धीरे-धीरे सामाजिक कार्यो के प्रति उनका लगाव बढ़ता रहा और एक दिन अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सितम्बर 2021 में अपनी एक संस्था गुलिस्ता ट्रस्ट को रिजस्टर्ड कराया जिसके माध्यम से वह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित हैं।

केस स्टडी 7

रोजगार की, अपने अनुसार जिंदगी गुजारने की आजादी

शाजिया बनारस के चौकाघाट की रहने वाली हैं। इनका जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ और घरवालों ने इनका लालन-पालन भी लड़के की तरह किया। परिवार में माता-पिता और तीन भाई हैं। शाजिया जैसे-जैसे बड़ी होती गईं, उन्हें यह महसूस हुआ कि वह लड़का नहीं हैं। इनका रुझान लड़कियों की तरफ ज्यादा था। खेलना-कूदना भी लड़कियों के साथ ज्यादा पसंद करती थीं। उनके जैसे कपड़े पसंद करती थीं, उनके जैसे चलना पसंद करती थीं, दूल्हा-दुल्हन वाला खेल पसंद करती थी, जिसे देखकर घर वालों को परेशानी होती थी। वह यह नहीं समझ पाते थे कि अगर यह एक लड़का है तो इसकी सारी पसंद लड़कियों वाली क्यों है। इसके लिए वह लोग टोकते भी रहते थे। आस-पड़ोस के लोग भी टीका-टिप्पणी करते रहते थे। लेकिन बालमन इन सब बातों से अनजान अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे-धीरे उम्र बढ़ती गई और कक्षा 8 तक की शिक्षा हासिल की। हालांकि जब वह कक्षा पाँच में थीं तभी एहसास होने लगा था कि जो लड़को जैसा व्यवहार करते हैं, कुछ तो उससे अलग है। लेकिन यह सब क्यों और कैसे है, वह समझ नहीं पाती थीं। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की लेकिन माँ को भी लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। माँ को लगा कहीं यह किसी गलत संगत में तो नहीं है। माँ ने झाड़-फूंक कराना शुरू किया कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। माँ का मन कोमल होता है और वह अपने बच्चे को उसी रूप में देखना चाहती है, जिसमें उसने उसे जन्म दिया हो। हालांकि वक्त बदला और माँ ने धीरे-धीरे इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन शाजिया के भाई इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। वह लोग इसके लिए माँ को ही दोषी ठहराते थे कि तुम उसका मन बढ़ा रही हो, तुम उसे गलत रास्ते पर ले जा रही हो। लेकिन माँ इस पीड़ा को समझती थीं। वह यह महसूस करती थीं कि मेरा बच्चा कैसे इस दोहरी जिंदगी के बीच फँसा हुआ है।

शाजिया जब कक्षा 8 में थी, उसके पिता जी का इंतकाल हो गया और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी पढ़ाई छूट गई। भाईयों ने भी माँ को अपने साथ रखने और उसका खर्च उठाने में असमर्थता जता दी, यह कहकर कि तुम तो उसका साथ देती हो जो हमारे जैसा नहीं है, जिसको समाज में मान्यता नहीं है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। इस बीच शाजिया ने मजदूरी करना शुरू किया और जो भी पैसा पाती थी उससे माँ के साथ घर का खर्च संभालती थी। परिवार की उपेक्षा और जिम्मेदारी इतने कम समय में उसके ऊपर आ गई थी कि वह वह परेशान रहने लगी कि किस तरह अपना और माँ का खर्च संभाले। इन उलझनों और बेचैनी के बीच वह डिप्रेशन का शिकार होने लगी। इसे समझते हुए उसका एक दोस्त उसे बंगलौर ले गया। शाजिया ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, काम मिलना मुश्किल था। अन्ततः एक मसाज पार्लर में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डिप्लोमा इन मसाज का कोर्स भी पूरा कर लिया। आमदनी अच्छी होने लगी तो मां को पैसे भेजना शुरू कर दिया। जब पैसा आने लगा तो भाईयों ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। करीब तीन साल बाद जब शाजिया बनारस घर आई तो उसके भाईयों ने कहा कि तुम्हें जो भी करना हो तुम करो, तुम्हें जैसे भी रहना हो रहो लेकिन जब तुम घर आते हो तो एक पुरुष की भांति आओ, एक पुरुष की भांति रहो। घर के बाहर तुम क्या करते हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। यह मोहल्ला छोड़कर तुम दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, बनारस के किसी कोने में चले जाओ। वहाँ जाकर तुम जो मर्जी करो हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से रहना होगा।

शाजिया के पिता जी पावरलूम चलाया करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात इसे निकाल दिया गया था और अन्य दोनों भाईयों ने कब्जा कर लिया था। किन्तु अब उसने पावरलूम के लिए अपना अधिकार जताया और एक लड़के की तरह अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लिया।

शाजिया बधाई माँगने का काम करती है और पैसे भी बचा कर रखती है। उसकी इच्छा है कि वह अपने भाई की बेटी की शादी में हर संभव मदद करे। हालांकि उसे इस बात की पीड़ा है कि पिता जी के इंतकाल के बाद उसके भाईयों को जो सहयोग उसे करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आज वह चार पैसे कमाने लगी तो उसके भाईयों को उससे हमदर्दी होने लगी। लेकिन जब वह कठिन संघर्ष के दौर में थी, तो माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। किसी ने उसके दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। पिता जी के इंतकाल के बाद उसने तरह-तरह के काम किए। कभी दुकानों पर तो कभी घरों में, लगातार हिंसा और उपेक्षा को सहा। चाल में थोड़ी लचक, बातों में लय होने के कारण लोग उसे अजीब दृष्टि से देखते थे। लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ और गलत करने का प्रयास किया। लेकिन शाजिया ने सब सहती गई। सिर्फ यह सोच कर कि शायद यही मेरी नियति है। उसके साथ हुए दुर्व्यवहार ने उसे सिर्फ काबिल ही नहीं बनाया, बल्कि उसे निर्भय कर दिया।

शाजिया बताती हैं कि इस कदर छींटाकशी होती थी कि कोई हमें जल्दी से किराये पर कमरा नहीं देता। आज भी सड़क पर चलते लोग गुड, छक्का ,गांडू, हिजड़ा, नल्ला, चलेगी क्या, दोगी क्या जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। जिस गली में भी निकलिए दो-चार लोग मिल ही जाते हैं। हम बधाई माँगते हैं, शादियों में नाचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हर जगह हमारे साथ बदसलूकी हो। हमारे भी कुछ कायदे हैं। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है तो हम क्या करें। हम भी इंसान हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हम टाइमपास दिल बहलाने की चीज हैं।

बेंगलुरु से लौटने के बाद शाजिया ने बनारस के होटलों में मसाज देने का काम शुरू किया। यहाँ उसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिले। यहीं उसका सम्पर्क यहाँ के नायकों से हुआ। उन्हीं के साथ बधाईयाँ मागने का काम शुरू किया। वह उनके बीच खुद को सहज पाने लगी। कोई उसके पहनावे, साज-सज्जा पर टिप्पणी नहीं करता। उसे ऐसा लगा कि उसे एक परिवार मिल गया। जहाँ लोग एक दूसरे के साथ सुख-दुख में साथ देते हैं। हालांकि यहाँ भी बहुत से लोग जो गद्दी पर हैं, वह अपना मालिकाना दिखाने के लिए और अपने को साबित करने के लिए भेदभाव करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। यदि तुम केवल किन्नर हो तो केवल किन्नरों से ही बात करो। तुम किन्नर हो तो तुम सिर्फ बधाई और नाच-गाने का ही धंधा करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। किन्तु शाजिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि हम किन्नर हैं तो हम यही करें। उसे लगता है कि उसे भी काम करने की आजादी होनी चाहिए। वह अपने शिष्यों को पढ़ने-लिखने पर जोर देती हैं। वह जोर देती हैं कि जो भी व्यवसाय मिले उसे करें, लड़ें, संघर्ष करें। अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी जिन्दगी गुजारें।

वैसे तो शाजिया के घर आज सारी सुख-सुविधा मौजूद है। किन्तु भाईयों की शर्त है कि यहाँ रहना है तो एक पुरुष की तरह रहना होगा, नहीं तो घर से बाहर जाना होगा। आमतौर पर लोग किन्नरों को अपना घर किराये पर देना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि यह असभ्य और उद्दंड होते हैं। वह किराया देने को तैयार है, लेकिन कोई कमरा किराये पर देने को तैयार नहीं है। इस वजह से वह एक असुविधापूर्ण और असहज माहौल में रह रही है। बनारस के अधिकतर किन्नरों के घर ऐसे हैं जहाँ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं।

केस स्टडी 8

स्वीकार का बल

जुबैर का जन्म बनारस में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके परिवार में माता-पिता के साथ-साथ दो भाई और तीन बहनें हैं। उनका शरीर तो एक पुरुष के रूप में था, लेकिन बचपन से ही उन्हें अपनी बहनों की तरह रहना पसंद था। क्योंकि वह घर में सबसे छोटे थे तो उनकी बहने भी प्यार से उन्हें अपने कपड़े पहना कर सजाया करती थीं। जुबैर जब बड़े हुए तो भी उन्हें ऐसे ही रहना पसंद था। उनका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा, घरवालों ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की, वह हर बार फेल हो जाते थे। उनके पिता सरकारी दफ्तर मे मुलाजिम थे। जब उसे अन्य लड़कों की तरह कपड़े पहनाए जाते तो उसे गुस्सा आता, घरवाले उसे समझाते कि अब तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें लड़कों की तरह ही रहना होगा, उसी तरह कपड़े पहनने होंगे और लड़कों की तरह ही व्यवहार करना होगा लेकिन जुबैर को लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना, उनके साथ गुड्डा-गुड़िया का शादी-ब्याह वाला खेल-खेलना और घर-आंगन का खेल खेलना पसंद था। उसका चलना भी कुछ-कुछ लड़कियों की तरह था। यह सब कुछ उसकी अपनी पंसद के अनुरूप था, लेकिन घरवालों और रिश्तेदारों को यह गवारा नहीं था।

जब उसकी उम्र 8 या 9 साल की रही होगी, तब उसके सगे चाचा ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो चाचा ने उसे धमकी दी कि इसके बारे में तुम किसी से मत कहना अन्यथा तुम्हारे साथ फिर ऐसे ही करूँगा और सबको बता दूंगा कि तुम घर में क्या-क्या करते हो। दरअसल जब बहन स्कूल चली जाया करती थी, वह स्कूल से जल्दी आ जाते थे, जब माँ घर में नहीं रहा करती थी तो वह सजते-सँवरते थे और लड़कियों की तरह लाली-लिपस्टिक लगाते थे, यह बात चाचा को पता थी, जिसे लेकर वह जुबैर को ब्लैकमेल किया करते और उसके साथ बार-बार यह गलत काम करते रहते थे। जुबैर यह बात किसी से कह नहीं पाते थे क्योंकि चाचा ने धमकी दी हुई थी। खुले तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अम्मी से इस बात की शिकायत की, लेकिन यह नहीं कहा कि चाचा मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं, बल्कि यह कहा कि चाचा मुझे सही नहीं लगते हैं। जिस पर उसकी अम्मी ने बहुत गौर नहीं किया और अन्य बहनों ने भी गौर नहीं किया। चाचा कभी उसकी अन्य बहनों के साथ कुछ गलत नहीं करते थे और क्योंकि उसने खुलकर नहीं कहा था इसलिए घर के किसी सदस्य का ध्यान इस तरफ नहीं गया। धीरे-धीरे वक्त बीतता रहा, उसने अपने भाई से बात की, उसने उसे समझा और उसे काम के लिए लेकर दुबई चला गया। जुबैर स्टाइलिश था, लम्बे बाल रखता था। वहाँ उसे देखकर एयरपोर्ट पर कोई आकर्षित हुआ और वह जब वह शौचालय के लिए बाथरूम में गए तो उन्होंने उसको अपनी तरफ खींच कर उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। उसने उसका विरोध किया और बाहर निकल आया लेकिन अपने भाई से इसका जिक्र नहीं किया। उसके मन में डर था कि भाई को ऐसा लगेगा कि पता नहीं इन में ऐसी क्या चीज है, जब बनारस में था तो चाचा इसके पीछे पड़े थे, अब यह यहाँ आया तो एयरपोर्ट पर लोगों ने इसे छेड़ना शुरू कर दिया।

जुबैर दुबई में अपने भाई के साथ कार पेंटिंग और पॉलिशिंग का काम करने लगा। धीरे-धीरे उसके यहाँ मित्र बन गए और उसके जैसी पसंद रखने वालों का एक समूह भी बन गया लेकिन

डेढ़-दो साल के अंतराल के बाद उसे वापस घर आना पड़ा और दोबारा दुबई जाना नहीं हो सका क्योंकि उसे पिता का इंतकाल हो गया था। पिता के इंतकाल के बाद भाई और मां ने यह फैसला लिया कि मां और बहनों का ख्याल रखने के लिए जुबैर बनारस रहेगा और बड़ा भाई दुबई जाकर काम करेगा। जुबैर को यहाँ कोई छोटा-मोटा रोजगार करा दिया जाएगा।

जुबैर को बचपन से ही पढ़ने-लिखने में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, इन बातों को देखते हुए घर वालों ने घर में ही किराने की दुकान खुलवा दी, धीरे-धीरे वह अपने इस काम में व्यस्त होते गए और अपना शौक पूरा करने के लिए रात को कभी रोडवेज पर तो कभी कैंट पर जाया करते, जहाँ जाकर जिस्मफरोशी करते। यह किसी आर्थिक तंगी के कारण नहीं, अपितु अपनी पसंद के कारण करते हैं। इस विषय में धीरे-धीरे क्षेत्र के नायक को पता चला और उसने इनसे संपर्क किया। जुबैर ने उन्हें अपनी सारी बातें बताई, उन्होंने ने कहा कि बेटा तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दे दिया करो और अगर तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे बताना मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो आकर हम लोगों के साथ काम भी कर सकते हो और तुम चाहो तो जो तुम काम कर रहे हो इसे भी कर सकते हो। उसे अपनी माँ और बहनों का भी ख्याल रखना था इसलिए घर में रहकर किराने की दुकान को और रात में अपने शौक को पूरा करने के काम को प्राथमिकता दी।

इस कार्य को भाँपते हुए उसके चाचा आए दिन उसके ऊपर छींटाकशी करते, उनके लड़के हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते। उनका मात्र एक उदेश्य था कि कैसे भी हो जुबैर घर छोड़कर चला जाएं और धीरे-धीरे वो लोग कब्जा कर लें। जुबैर के भाई बहुत सीधे-साधे हैं, उन्हें इन सब लफड़े में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वह चाचा की सारी बातों को सर झुका कर मान लिया करते हैं। लेकिन जुबैर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन उसने पहली बार खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि वह क्या है और उसे क्या पंसद है। उसने कहा कि तुम लोग यह बार-बार लड़ाई-झगड़े करके इस कोशिश में रहते हो कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊँ तो यह मैं कतई नहीं करूँगा। यह कहते हुए उसने दुकान बंद की और अपने गुरु के पास चला गया और जाकर अपनी आपबीती सुनाई। गुरु अपने पूरे समूह के साथ उसके घर आया और पुलिस प्रशासन की भी मदद ली। यह सब देखकर मोहल्ले में भीड़ जुट गयी कि आखिर हो क्या रहा है! पूरे मोहल्ले को यह बात साफ हो गई कि जुबैर का किन्नर समुदाय से ताल्लुक है। जो लोग तरह-तरह की बातों को लेकर छींटाकशी किया करते थे, उस दिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब मानो सदमे में थे कि वाकयी कोई ऐसा भी कदम उठा सकता है। जुबैर ने पुलिस प्रशासन, मोहल्ला, अपने घरवालों, सबके सामने खुलकर अपनी बात रखी कि वह क्या है। यह भी कि वह आर्थिक तंगी के कारण नहीं बल्कि अपने शौक के लिए जिस्मफरोशी का धंधा करता है। लड़कियों की तरह सजना-सँवरना उसे अच्छा लगता है और यह भी कि मैं इसी मोहल्ले में रहूँगा और देखता हूँ कि कौन मेरे साथ अभद्रता करता है।

बहरहाल, अब जुबैर अपने दो दोस्तों के साथ माडुआडिह में आकर रहते हैं। उनका कहना है कि वह चोरी-डकैती नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, किसी गरीब के घर जाकर जबरदस्ती उससे बधाई नहीं माँगते। उनका कहना है कि वह किन्नर हैं लेकिन अपने बल पर कमाते-खाते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद करते हैं।

केस स्टडी 9

एक दिन समाज का नजरिया जरूर बदलेगा

लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च असिस्टेन्ट के तौर पर काम कर रही प्रियम की उम्र 31 वर्ष है। वह मूलरूप से बरेली की रहने वाली हैं। उनके परिवार में मम्मी, बड़े भाई-भाभी के अलावा अन्य लोग भी हैं, आज भी उनका परिवार संयुक्त परिवार है। उन्होंने माईक्रोबायोलाजी में मास्टर किया है। वह पिछले सात सालों से लखनऊ में अकेले किराये के मकान में रह रही हैं।

वह बताती हैं कि एक लड़की का अकेले किराये के मकान में रहना अभी भी हमारे समाज के लिए असहज करने वाली बात है। किन्तु इतने सालों से रहने के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं हुई। हालांकि इसका एक कारण यह भी है कि वह अपनी पहचान किसी से शेयर भी नहीं करती। उनके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि सभी पहचान-पत्र हैं, जो आमतौर पर लोगों के पास होते हैं।

वैसे तो प्रियम लखनऊ में ही रहती हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान उनका अपने घर बरेली आना-जाना होता है। वह बताती हैं कि पिछले तीन-चार साल पहले उन पर शादी का बहुत दबाव था, किन्तु अब धीरे-धीरे कम हो गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह एक इंस्टीट्यूट में बतौर रिसर्च असिस्टेन्ट काम कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। हालांकि अभी भी घर वाले उम्मीद लगाये हैं कि एक दिन शादी कर लेगी। वह बताती हैं कि अभी घर में किसी को नहीं पता है कि वह किसी लड़के से शादी करने के लिहाज से असहज हैं। वह लेस्बियन हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि बड़े भाई को शक है कि सब कुछ नार्मल नहीं हैं। लेकिन इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है।

यह पूछने पर कि आपको पहली बार कब पता चला कि आप को लड़कियों के प्रति आकर्षण है, वह बताती हैं कि सातवीं अथवा आठवीं के दौरान ही उन्हें इस बारे में पता चला। वह कहती हैं कि शुरू में मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, ऐसा लगा कि जैसे मुझ में ही कुछ समस्या है। फिर एक दिन गर्लफ्रेंड नाम की फिल्म देखी तो कुछ-कुछ समझ में आया। किन्तु ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं इस बारे में बात कर पाती और कोई गाइड करता।

आज प्रियम के पास ऐसे कई मित्र हैं जिनसे वह अपनी भावनाओं को साझा कर पाती हैं। उनके मित्र भी उन्हें सहयोग करते हैं, और भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। जहाँ वह काम करती हैं वहाँ भी वह कुछ लोगों से अपनी विशेष पहचान को साझा कर चुकी हैं, वह लोग भी इसे समझते हैं और कभी अन्यथा नहीं लेते। वह बताती हैं कि उन्होंने आनॅलाइन अपने जैसे दोस्तों को भी तलाश किया और वहाँ उन्हें अच्छे दोस्त मिले। सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ उन्हें कोई जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला नहीं मिला। सभी एक-दूसरे को समझने वाले लोग ही ज्यादा मिले।

उनका मानना है कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, जहाँ हर कोई अपनी मर्जी से रह सके, अपने मन के मुताबिक स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जी सके, कोई किसी तरह का कमेंट न करे। लेकिन अभी हमारा समाज ऐसा नहीं है। यदि हमारा समाज ऐसा हो जाए तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी जीवन जीना आसान हो जाए। उनका मानना है कि हाल के वर्षों में ट्रांसजेण्डर के लिए

समाज में स्वीकृति बढ़ी है, किन्तु लेस्बियन या अन्य अल्पसंख्यक जेण्डरों के लिए अभी भी मुश्किल हालात हैं, उनके लिए कुछ नहीं बदला है।

वह कहती है कि हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जरूर बदलाव होगा और हालात बेहतर होंगे। समाज हमें भी एक दिन स्वीकार करेगा। हालांकि अभी स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं। ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रति यदि समाज में कुछ स्वीकृति बढ़ी है तो इसके पीछे उनका संघर्ष भी है। लेकिन लेस्बियन आदि लोगों का अपना कोई संगठन है या नहीं, जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हो, यह वह नहीं जानती हैं लेकिन वह मानती हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तमाम तरह की जद्दोजहद के बीच जीते हुए वह उम्मीद करती हैं कि एक दिन हमे लेकर समाज का नजरिया जरूर बदलेगा।

केस स्टडी 10

एक दिन समाज हमें स्वीकार करेगा

निशि लखनऊ की रहने वाली हैं। घर में पापा-मम्मी के अलावा एक छोटा भाई भी है। पिता जी सरकारी नौकरी में थें, अभी रिटायर हो गए हैं। निशि ने बीकाम किया है और पिछले चार-पांच साल से लखनऊ में ही प्राईवेट जॉब में हैं। अगले महीने वह 26 साल की हो जाएँगी। निशि अपने जॉब के माध्यम से अपना खर्च तो देखती ही हैं, अपने परिवार की भी मदद करती हैं।

निशि बताती हैं कि वह जब कक्षा 7-8 में थीं, तभी उनकी लड़कियों से ज्यादा दोस्ती होने लगी थी। वह खुद में लड़कियों के प्रति ज्यादा आर्कषण महसूस करती थीं, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थीं। शुरू-शुरू में वह यही समझ पाईं कि ऐसा कुछ होता है जिसे लोग बीमारी मानते हैं, लेकिन उनका अपना मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जैसे-जैसे वह बड़ी होती गईं, उन्हें लगने लगा कि वह बीमार नहीं हैं, यह बीमारी नहीं है, कुछ ऐसा है जिससे वह दूसरों से अलग हैं। इस बारे में किसी से बात भी नहीं की। यह सोच कर कि कहीं सब हमें अकेला न छोड़ दें, वह डर जाती थीं।

एक खास बात यह रही कि निशि रोज डायरी लिखती थीं। एक दिन स्कूल की एक टीचर को, जिसका निशि बहुत सम्मान करती थीं, भूलवश वह डायरी पढ़ने को दे दी। टीचर ने डायरी पढ़कर निशि के मनोभाव को समझ लिया और दूसरे लोगों को भी बता दिया। धीरे-धीरे यह बात पूरे क्लास में फैल गई, जिसके बाद लोग मजाक उड़ाने लगे, तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे। जो काफी तकलीफदेह रहा।यह सिलसिला यही नहीं रुका। निशि जहाँ जॉब करती थीं, वहाँ उनके मैनेजर ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक बॉस के रूप में फायदा उठाते हुए अपने तथाकथित प्रेम के लिए दबाव डालने लगे। निशि ने उन्हें कई बार विनम्रतापूर्वक मना किया, लेकिन वह मानने से रहे, तरह-तरह से कोशिश करते रहे। एक दिन निशि ने उन्हें अपने बारे में बताया तो कहने लगे तुम बीमार हो, हमारे पास पैसा है, किसी डाक्टर से मिलेंगे, इलाज होगा और तुम ठीक हो जाओगी। इस बार भी निशि ने विनम्रतापूर्वक उन्हें मना किया तो उनके अहंकार को ठेस लगी और वह प्रतिशोध पर उतर आए। उन्होंने निशि के बारे में सहकर्मियों से बात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यहाँ निशि के लिए काम करना मुश्किल हो गया और आखिरकार एक दिन उसने जॉब छोड़ दी। निशि बताती हैं कि इस घटना से न सिर्फ बहुत तकलीफ हुई बल्कि बहुत तनाव से भी गुजरना पड़ा।

स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर निशि बताती हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं, शारीरिक तौर पर सामान्य लड़कियों की तरह ही हैं। अन्य लड़कियों की तरह उन्हें भी सामान्य रूप से ही पीरियड्स आते हैं। बच्चों के सवाल पर वह कहती हैं कि लेस्बियन भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। आजकल मेडिकल साइन्स बहुत विकसित हो चुकी हैं, कई तरह की तकनीक मौजूद है। लेस्बियन बच्चे भी पैदा कर सकती हैं और दूसरी अन्य माँओं की तरह उनका बखूबी पालन-पोषण भी कर सकती हैं। हालांकि अपने लिए अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अभी वह आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं।

किसी समाचार माध्यम से लेस्बियन लोगों के बारे पढ़कर निशि को एक ऐप का पता चला। जिसे उन्होंने यूँ ही आजमा लिया। वहाँ उन्हें और लोग भी मिले जिनमें कई अच्छे दोस्त भी मिले।

निशि बताती हैं कि यहाँ आकर पता चला कि एक पूरा समुदाय है जहाँ लोगों को एक अच्छे मित्र की तलाश है।

गाने और गिटार बजाने का शौक रखने के साथ ही निशि को उपन्यास पढ़ने का भी शौक है। भविष्य के बारे में वह कहती हैं कि अभी अपने घर में पापा-मम्मी को यह सब नहीं बताई हूँ और उन्हें शक भी नहीं हुआ है। एक बार एक चचेरी बहन को बताया था तो उसने कहा तुम बीमार हो और गलत लोगों के संगत में हो, इसलिए यह सब है और कोई बात नही है। कोई समझने को तैयार ही नहीं है। वह कहती हैं कि यह सब देखते हुए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया है। यदि हमारे माता-पिता राजी हुए तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन अलग रहना होगा। हालांकि वह मानती हैं कि इसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। जब वह अपने पैरों पर खड़ी होंगी तभी यह संभव हो पायेगा।

फिलहाल निशि किसी सामुदायिक यूनियन से तो नहीं जुड़ी हैं लेकिन चाहती हैं कि उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठे, उनके अधिकारों की भी चर्चा हो। उनका मानना है कि लेस्बियन लोगों को भी विवाह का अधिकार होना चाहिए। वह चाहती हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहाँ लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जी सकें। यदि ऐसा हो जाए तो उनके लिए भी जीवन आसान हो जाए। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन समाज जरूर बदलेगा और उन्हें और उनके जैसे लोगों को भी स्वीकार करेगा।

ट्रांसजेण्डर समुदाय का माँग-पत्र

राज्य स्तरीय अध्ययन एवं सर्वेक्षण

ट्रांसजेण्डर समुदाय की स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आंकलन हेतु राज्य स्तरीय अध्ययन व सर्वेक्षण कराया जाए।

पहचान-पत्र

ट्रांसजेण्डर पहचान-पत्र आवेदन हेतु राज्य स्तर पर भी वेबसाईट/लिंक की सेवा उपलब्ध कराई जाए।

शिकायत समाधान की व्यवस्था

- संकट में फँसे ट्रांसजेण्डर को आवश्यक सहायता प्रदान करने, उन्हें उनके मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देने और परामर्श देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए।
- आनॅलाइन ट्रांसजेण्डर शिकायत पोर्टल की व्यवस्था हो।
- जिला ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की निगरानी एवं राज्य बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में विशेष मासिक जनसुनवाई की व्यवस्था की जाए।

सामाजिक सुरक्षा योजना

- ट्रांसजेण्डर समुदाय को सभी एसआरएस, एमटीएफ और एफटीएम पद्धतियों सहित सुरक्षित और लिंग पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श, लेजर उपचार, हार्मोन प्रतिस्थापन उपचार और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का उपचार निजी अस्पतालों में कराने के लिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सेवा उपलब्ध कराई जाए।
- ट्रांसजेण्डर समुदाय को सभी एमटीएफ और एफटीएम पद्धतियों सहित सुरक्षित और पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श और हार्मोन प्रतिस्थापन उपचार के लिए राज्य के दोनों एम्स और मण्डल स्तर पर कम से कम मेडिकल कालेज को सुसज्जित किया जाए।
- सभी जिला चिकित्सालयों व सभी मेडिकल कालेजों में ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए अलग से ओपीडी व वार्ड सुनिश्चित किया जाए।
- सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएफ) के उपरांत रिकवरी अवधि के दौरान परामर्श, भोजन, उपचार व अन्य खर्चों के लिए कम से कम 12 महीनों के लिए प्रति माह 5000 रुपये की व्यवस्था की जाए।
- सेक्स एफर्मेशन सर्जरी या तो सरकार द्वारा मुफ्त या सब्सिडी वाली होनी चाहिए।
- सभी ट्रांसजेण्डरों को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए।

शिक्षा व रोजगार

- जिले व ब्लाक स्तर पर ट्रांसजेण्डर समुदाय के कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए।

- ट्रांसजेण्डर छात्रों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृति का प्रावधान किया जाए।
- ट्रांसजेण्डर छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुसरण के लिए कम से कम प्रति वर्ष एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाए।
- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए कम से कम तीन लाख रुपये के ऋण की वित्तीय सहायता न्यूनतम ब्याज दर पर दी जाए।
- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए।
- चिकित्सा और कानूनी पाठ्यक्रम में समलैंगिक समुदाय पर अध्याय शामिल होने चाहिए।
- ट्रांसजेण्डर समुदाय को छात्रावास सुविधा/आवास खोजने के लिए किराये के लिए 10000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाए।
- स्कूलों और कॉलेजों में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान से संबंधित बदमाशी पर सख्त नीतियां होनी चाहिए।
- जीवन कौशल शिक्षा (समलैंगिक लोगों से संबंधित मुद्दों सहित) को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
- सरकारी/संविदा/मनरेगा सेवाओं में ट्रांसजेण्डर समुदाय को विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

आवास की व्यवस्था

- प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए 5 प्रतिशत आवास आरक्षित किये जाएँ।
- प्रत्येक जिले में गरिमा गृह की स्थापना की जाए।
- संकटग्रस्त ट्रांसजेण्डर युवाओं के लिए ऐसे आश्रय गृहों व समुदायिक केन्द्रों की स्थापना की जाए, जहाँ निःशुल्क या न्यूनतम दर पर पौष्टिक भोजन और परामर्श की सुविधा हो।
- ट्रांसजेण्डर समुदाय को निःशुल्क या न्यूनतम दर पर पानी व बिजली कनेक्शन दिया जाए।
- ट्रांसजेण्डर समुदाय को आवास निर्माण हेतु न्यूनतम दर पर ऋण की व्यवस्था की जाए।

कल्याणकारी उपाय

- ट्रांसजेण्डर समुदाय को अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किया जाए।
- सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएफ) के उपरांत सामान्य परिवारिक जीवन जीने के लिए कानूनी रूप से विवाह करने वाले ट्रांसजेण्डर जोड़ों को विवाह सहायता राशि के रूप में न्यूनतम 75000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाए।
- अशक्त व वृद्ध ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को न्यूनतम 2000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए।
- घर के बहिष्करण की समस्या से जूझ रहे ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम व विश्राम गृहों की स्थापना जिला स्तर पर की जाए।
- परिवहन निगम की बसों में कम से कम दो स्थान ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाएँ।

आर्थिक सहयोग

- प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व परिवारिक बीमा योजना में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को शामिल किया जाए।
- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए विशेष ब्याज रहित ऋण सुविधा, सूक्ष्म वित्त योजनाओं व बैकिंग वित्तीय सेवाओं की योजनाओं का निमार्ण किया जाए।
- सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्पष्ट रूप से ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को शामिल किया जाए।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व राष्ट्रीय शहरी आजीवका मिशन में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह को शामिल किया जाए।

अन्य माँगें

- क्वीर समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव वाले कानूनों को खत्म किया जाए।
- कॉरपोरेट्स के पास क्वीर समुदाय के काम पर रखने, काम करने से संबंधित स्पष्ट नीतियाँ होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण और बातचीत के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समलैंगिक समुदाय के बीच की खाई को पाटा जाना चाहिए।
- सीएसआर फंडिंग के एक निश्चित हिस्से को क्वीर समुदाय पर काम करने के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए।
- समलैंगिक समुदाय के लिए विवाह, उत्तराधिकार, आवास अधिकारों में समानता पर आधारित कूानन बनाये जाएँ।
- मीडिया घरानों और पेशेवरों को क्वीर समुदाय के चित्रण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को अपने घोषणा-पत्र में समलैंगिक समुदाय से जुड़े मुद्दों को शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

असल में हमारा समाज ट्रांसजेण्डर समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उन्हें अपने से अलग समझता है और खुद में शामिल नहीं करता। उनके लिंग को लेकर उन पर फब्तियाँ कसना, हँसी उड़ाना, कभी उन्हें गाली के तौर पर छक्का या कुछ और कहकर चिढ़ाना और कुल मिलाकर उन्हें कभी भी नॉर्मल महसूस न होने देना, उन्हें धीरे-धीरे मानसिक बीमारियों और विकारों की तरफ धकेलता है।

यह बात सही है कि ट्रांसजेण्डर हाशिये पर खड़ा एक ऐसा समुदाय है जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बहुत कम है। ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोग अक्सर अपनी लैंगिक बेमेलता में खुद ही इतने उलझे होते हैं और उस पर समाज में उनकी अस्वीकार्यता इस समुदाय को मानसिक बीमारियों की तरफ ले जाती है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि खासतौर से डिप्रेशन और एंजाइटी आम आदमी की तुलना में ट्रांसजेण्डर लोगों में काफी होती है। यही नहीं इस समुदाय के लोग सेल्फ हार्म की कोशिशें ही नहीं बल्कि खुदकुशी भी करते हैं जिसकी दर भी आम लोगों की तुलना में ज्यादा है। मादक पदार्थ, तंबाकू और एल्कोहल की लत की दर भी ट्रांसजेण्डर समुदाय में ज्यादा है। इसके अलावा एसटीडी से होने वाले एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस से भी इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

ट्रांसजेण्डर भीख माँगकर, धार्मिक समारोह करके और सबसे दर्दनाक तरीके से यौन कार्य करके अपनी दैनिक रोजी-रोटी कमाते हैं। वे सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं और अपनी ट्रांसजेण्डर पहचान का खुलासा करने पर उनके अपने परिवारों द्वारा भी उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) है। भारत सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। इस प्रकार भारत के नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की आत्मा है। इसके अलावा न्यायपालिका भारत के संविधान की संरक्षक है। स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व और न्याय हमारे मूल्य हैं।

हम सब जानते हैं कि महिला और पुरुष के अलावा हमारे मध्य सामाजिक पदानुक्रम में एक आबादी ऐसी भी है जो सम्मानजनक तरीके से जीने के अधिकार के लिए संघर्षरत है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय को थर्डजेण्डर के तौर पर मान्यता देने के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने ट्रांसजेण्डर समुदाय को आर्थिक और सामाजिक मान्यता देने के लिए सकारात्मक प्रयास किए, पर सामाजिक मानसिकता आज भी जड़ बनी हुई है।

सरकारी नीतियों की सकारात्मक कोशिशों से ट्रांसजेण्डर समाज मुख्यधारा में सम्मान और अधिकार हासिल करने के लिए अपने बलबूते पहचान भी बना रहा है। इस बात से इंकार नहीं है कि धीरे-धीरे समाज में ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है। सरकारी महकमों और समाज के विभिन्न तबकों में भी ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रति सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। पर इन तमाम कोशिशों के बाद भी क्या हम और हमारा समाज सेक्सुअल ओरियंटेशन को नकारने की कोशिश नहीं करते हैं?

वर्ष 2014 के नालसा जजमेंट ने और फिर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले ने ट्रांसजेण्डर समाज की ज़िंदगी में नई रोशनी दिखाई है, परंतु कोई भी नीति या कानून ट्रांसजेण्डर समुदाय को कानूनी वैधता तो दिला सकता है लेकिन समाजिक पहचान के अभाव में वह अधूरा ही रहेगा। सरकारों के साथ-साथ समाज को भी यह समझना होगा कि थर्डजेण्डर समुदाय की बड़ी आबादी अपनी सकारात्मकता और रनचात्मकता से देश के विकास में अपना योगदान वैसे ही कर सकती है, जैसे हम कर रहे हैं, बस उन्हें समान नागरिक के तौर पर देखे जाने की ज़रूरत है।

ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्या संवैधानिक से अधिक सामाजिक है। ज़रूरत इस बात की अधिक है कि समान नागरिक होने की पहचान, जो आज तक समाज में ट्रांसजेण्डर समुदाय को नहीं मिली है, की दिशा में सामाजिक बदलाव के लिए मूलभूत फैसले लिए जाएँ और उनको लागू किया जाए। समाज के अंदर ट्रांसजेण्डर समुदाय की लैंगिक भावनाओं को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ा जाए, क्योंकि यही भ्रांतियाँ उनके मनुष्य होने पर ही सवाल उठाती हैं। ट्रांसजेण्डर समुदाय न तो वोट बैंक हैं, न ही राजनीति और सत्ता को प्रभावित करने में सक्षम है। राजनैतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में नीति-निर्माण के कार्य में कभी भी ट्रांसजेण्डर समुदाय को ध्यान में नहीं रखा जाता।

हमारी सरकार और समाज, दोनों की जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित करे। ट्रांसजेण्डर्स को शामिल किए बिना ''हम भारत के लोग'' के विचार को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकता।

॥ पैरवी ॥
पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज इन इण्डिया
के-8, तीसरा तल, लाजपतनगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः +91 11 29841266 | ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com | वैबसाइटः www.pairvi.org